सत्यमेव जयते

लेखे एक नजर में

2018-19

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार

लेखे एक नजर में

वर्ष 2018-19

प्रधान महालेखाकार, झारखण्ड
(लेखा एवं हकदारी)

झारखण्ड सरकार

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार राज्य सरकार के वार्षिक लेखे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के निदेशों के अधीन राज्य विधान मंडल के पटल पर रखने के लिए बनाये और जाँचे गये हैं।

वार्षिक लेखे-समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अधीन लेखे का संक्षिप्त विवरण है। विनियोग लेखे में राज्य विधान मंडल द्वारा अनुमोदित प्रावधानों के विरूद्ध अनुदानवार व्यय को दर्ज किया जाता है एवं वास्तविक व्यय तथा उपलब्ध कराये गये निधियों के बीच अंतर का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार करते हैं।

'लेखे एक नजर में' सरकारी क्रियाकलापों का विस्तृत विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है, जैसा कि वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे में प्रदर्शित है। ये सूचना संक्षिप्त व्याख्याओं, विवरणों और ग्राफों के द्वारा दर्शाया गया है।

हमें उन परामर्शों की अपेक्षा है जो हमारे प्रकाशन के सुधार में सहायक सिद्ध हो।

(चन्द्र मौलि सिंह)
प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.)

स्थान : राँची
दिनांक : 14 अगस्त, 2020

हमारा दृष्टि, उद्देश्य एवं बुनियादी मूल्य

दृष्टि

(एक द्रष्टा के रूप में सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान इस दृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है कि हमारे उद्देश्य क्या हैं)

हम सार्वजनिक क्षेत्र की लेखा परीक्षाओं में राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को अपनाकर विश्वनायक एवं पहलकर्ता की अपनी पहचान बनाने में जी जान से जुटे हैं एवं प्रशासन के क्षेत्र में स्वतंत्र विश्वसनीयता, संतुलित एवं समयबद्ध रिपोर्टिंग के लिए हमें जाना जाता है।

उद्देश्य

हमारा उद्देश्य अपनी वर्तमान भूमिका एवं वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं का निरूपण करना है।

भारतीय संविधान के अनिवार्यताओं के अनुसार, हम उच्च स्तरीय लेखा परीक्षा तथा लेखांकन के माध्यम से उत्तरदायित्व, पारदर्शिता व श्रेष्ठ प्रशासन को प्रोन्नत करते हैं एवं अपने भागीदारों, विधायिका, कार्यपालिका को स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करते हैं कि लोक निधि का उपयोग प्रभावी तरीके से यथोचित उद्देश्यों के लिए ही किया जा रहा है।

बुनियादी मूल्य

हमारे बुनियादी मूल्य सभी के मार्गदर्शन हेतु आलोकित करना है जिसे हम पूरा करते हैं तथा यही मूल्य हमारे प्रदर्शन के आकलन के लिए निर्धारित मानदण्ड है।

- स्वतंत्रता
- निष्पक्षता
- अखण्डता
- विश्वसनीयता
- विशिष्ट दक्षता
- पारदर्शिता
- सकारात्मक दृष्टिकोण

विषय-सूची

		पृष्ठ
अध्याय–1	विहंगावलोकन	
1.1	भूमिका	7
1.2	लेखे की संरचना	8
1.2.1	सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं	8
1.2.2	लेखा संकलन	9
1.3	वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे	10
1.3.1	वित्त लेखे	10-12
1.3.2	विनियोग लेखे	12
1.3.3	बजट अनुमानों की कार्य कुशलता	12
1.4	निधियों के स्रोत तथा उपयोग	12
1.4.1	अर्थोपाय अग्रिम	12
1.4.2	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट	12
1.4.3	निधि प्रवाह विवरणी (निधियों के स्रोत तथा उपयोग)	12-13
1.4.4	रूपये कहाँ से आए	14
1.4.5	रूपये कहाँ गए	14
1.5	लेखे की विशिष्टता	15-16
1.6	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2005	17
1.6.1	राजस्व घाटा/अधिशेष की प्रवृत्ति	18
1.6.2	राजकोषीय घाटा की प्रवृत्ति	18
1.6.3	उधार निधि से पूंजीगत व्यय पर खर्च का अनुपात	19
अध्याय–2	प्राप्तियाँ	
2.1	भूमिका	20
2.2	राजस्व प्राप्तियाँ	20-21
2.2.1	राजस्व प्राप्तियाँ का घटक	21
2.2.2	राजस्व प्राप्तियों का रूझान	21-22
2.3	कर राजस्व	22-23
2.3.1	राज्य की स्व कर राजस्व एवं संघीय करों में राज्य का अंश संग्रहण का प्रदर्शन	23-24
2.3.2	विगत पाँच वर्षों के दौरान राज्य के निजी कर संग्रहण का रूझान	24
2.4	कर संग्रहण की दक्षता	25
2.5	विगत पाँच वर्षों के दौरान संघीय करों में राज्य का हिस्सों की प्रवृति	26
2.6	सहायक अनुदान	26-27
2.7	लोक ऋण	28

अध्याय–3	**व्यय**	
3.1	भूमिका	29
3.2	राजस्व व्यय	30
3.2.1	राजस्व व्यय का खण्डवार वितरण	31
3.2.2	राजस्व व्यय के मुख्य घटक	32
3.3	पूंजीगत व्यय	32
3.3.1	पूंजीगत व्यय का खण्डवार वितरण	33
3.3.2	पूंजीगत तथा राजस्व व्यय का खण्डवार वितरण	33
3.4	लेखांकन मानकों का अनुपालन	33
अध्याय–4	**राज्य स्कीम (सी.ए.एस.सी. एवं सी.एस.एस.सहित) एवं स्थापना व्यय**	
4.1	व्यय का वितरण	34
4.2	योजना व्यय	34-35
4.2.1	पूंजी लेखा के अन्तर्गत योजना व्यय	35
4.2.2	ऋणों एवं अग्रिमों पर स्कीम व्यय	35
4.3	स्थापना व्यय	36
4.4	वचनबद्ध व्यय	36-37
अध्याय–5	**विनियोग लेखे**	
5.1	विनियोग लेखे का सारांश	38
5.2	विगत पाँच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य या अधिक व्यय की प्रवृति	38
5.3	महत्वपूर्ण बचतें	39-40
अध्याय–6	**परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व**	
6.1	परिसम्पत्तियाँ	41
6.2	ऋण एवं दायित्व	42
6.3	निवेश एवं वापसियाँ	43
6.4	राज्य सरकार द्वारा कर्ज एवं अग्रिम	43
6.5	प्रत्याभूति	43
अध्याय–7	**अन्य मदें**	
7.1	आन्तरिक ऋण के अधीन शेष	44
7.2	स्थानीय निकायों एवं अन्यान्य को वित्तीय सहायता	44
7.3	रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का मिलान	44
7.4	लेखे का पुनर्मिलान	45-46
7.5	कोषागारों द्वारा लेखे का प्रेषण	46
7.6	राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सहायक अनुदानों के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	46
7.7	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र (ए.सी.) एवं विस्तृत आकस्मिक विपत्र (डी.सी.)	47
7.8	अपूर्ण पूंजीगत कार्यों के लेखे की वचनबद्धता	47
7.9	उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यु.डी.ए.वाई.)	47
7.10	व्यय की तीव्रता	47-48

अध्याय - 1
विहंगावलोकन

1.1 भूमिका

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखंड विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रदत्त आँकड़ों को संकलित, वर्गीकृत एवं समेकित करता है एवं झारखंड सरकार के लेखों को तैयार करता है। यह संकलन जिला कोषागारों, लोक निर्माण कार्यों, सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों, वन प्रमंडलों, अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहारों तथा भारतीय रिजर्व बैंक की समायोजन की सूचना द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक लेखों पर आधारित है। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्रत्येक माह झारखंड सरकार को मासिक सिविल लेखे प्रस्तुत किया जाता है। महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हकदारी), महत्वपूर्ण वित्तीय मानकों एवं सरकार के व्यय की गुणवत्ता पर त्रैमासिक अनुशंसा नोट भी प्रस्तुत करता है। वार्षिक वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), झारखंड द्वारा अंकेक्षित एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित करने के पश्चात् राज्य विधानसभा के पटल पर रखा जाता है।

1.2 लेखे की संरचना

1.2.1 सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं

सरकार के लेखों की संरचना

भाग-1
विनियोग लेखे

समेकित निधि - कर एवं गैर-कर राजस्वों सहित सरकार के सभी राजस्वों उठाये गए ऋण एवं दिये गये ऋणों (ब्याज सहित) की अदायगी समेकित निधि जमा होते हैं। ऋणों की अदायगी तथा लिये गये ऋणों के पुर्नभुगतान (ब्याज सहित) सहित सरकार के सभी व्यय एवं संवितरण को इस कोष से वहन किया जाता है।

भाग-2
आकस्मिक निधि

आकस्मिक निधि समुदाय स्वरूप की है। वैसे अदृश्य व्यय को पूरा करने के लिए जिसके लिए बजट में प्रावधान नहीं है, तदोपरान्त इस निधि से व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति समेकित निधि से की जाती है। झारखण्ड सरकार के लिए इस कोष की राशि ₹ 500.00 करोड़ है।

भाग-3
लोक लेखे

इसमें ऋण, जमा, पेशगियां, प्रेषण तथा उचित लेनदेन शामिल है। ऋण एवं जमा सरकार की देयता के पुनर्भुगतान को इंगित करता है। पेशगियां सरकार की प्राप्तियाँ हैं। प्रेषण एवं उचित लेनदेन समायोज्य प्रविष्टियाँ हैं जिसे अंतिम लेखा शीर्ष में पुस्तांकन द्वारा उत्तरोत्तर समाशोधित किया जाता है।

1.2.2 लेखा संकलन

लेखा संकलन हेतू प्रवाह आरेख

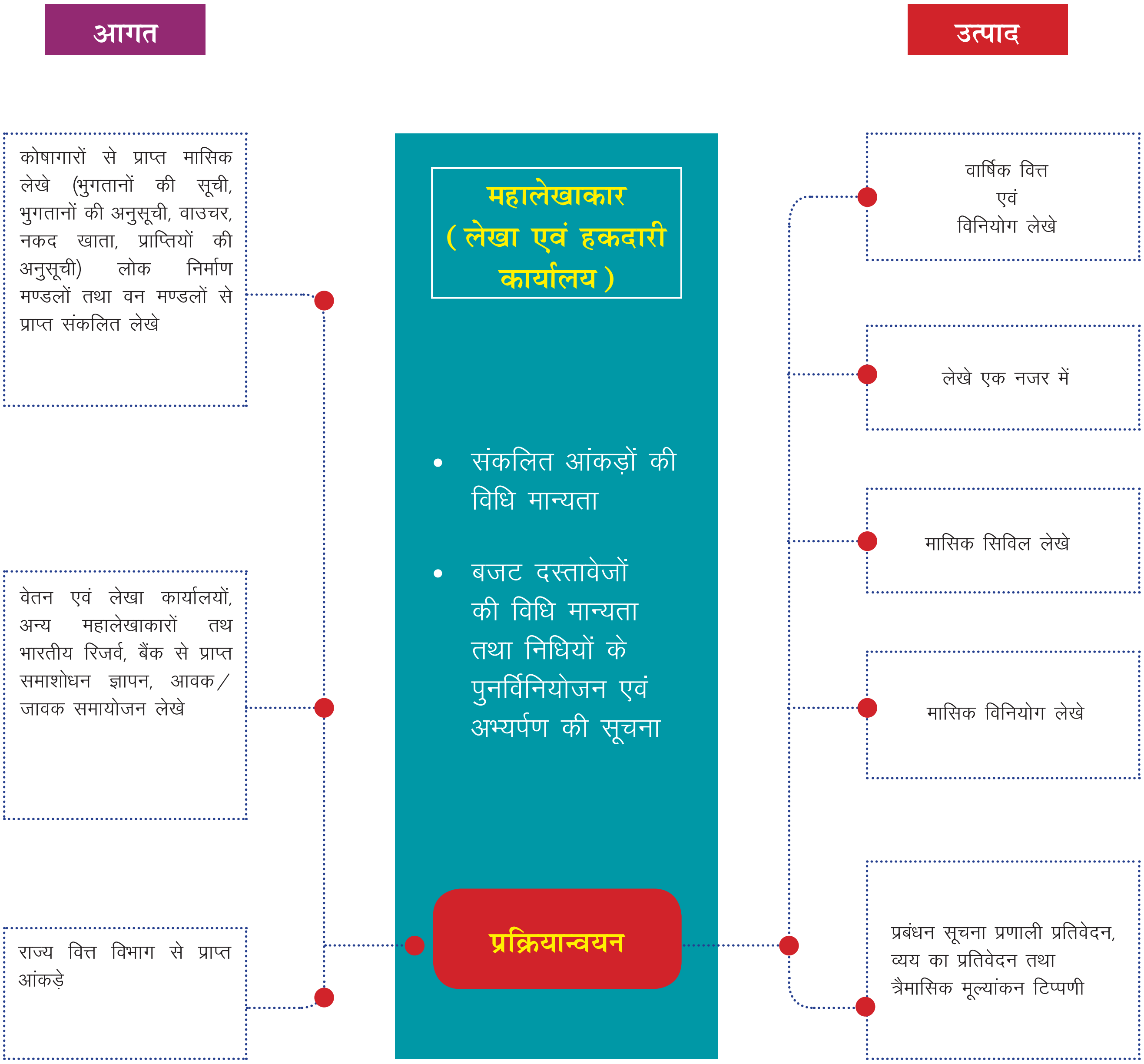

1.3 वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे

1.3.1 वित्त लेखे

लेखे में दर्ज शेषों के परीक्षण के आधार राजस्व और पूंजी लेखे, लोक ऋण के लेखे एवं दायित्वों तथा सम्पत्तियों द्वारा प्रकट वित्तीय परिणामों के साथ वर्ष के लिए सरकार के प्राप्तियों और व्ययों के लेखे वित्त लेखे प्रस्तुत करता है। वित्त लेखे को अधिक व्यापक एवं सूचनात्मक बनाने हेतु इसे दो खण्डों में बनाया गया है। वित्त लेखे के खण्ड - I में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र, सम्पूर्ण प्राप्तियों एवं संवितरणों का संक्षिप्त विवरण समाहित है तथा 'लेखे पर टिप्पणियाँ', जिसमें महत्वपूर्ण लेखाकरण की नीतियाँ, लेखे की गुणवत्ता तथा अन्य मदें शामिल हैं। खण्ड-II में विस्तृत (भाग-I) तथा परिशिष्टों (भाग-II) को शामिल किया जाता है।

झारखण्ड सरकार के प्राप्तियों और व्ययों, जैसा कि वित्त लेखें, 2018-19 में अंकित है, को नीचे दर्शाया गया है -

वर्ष 2018-19 में प्राप्तियों और व्ययों *(₹ करोड़ में)*

प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ		62,829
	राजस्व	कर राजस्व	38,658
		करेतर राजस्व	8,258
		सहायता अनुदान एवं अंशदान	9,236
		राजस्व प्राप्तियाँ	**56,152**
	पूँजी	कर्ज एवं पेशगियों की वसूली	48
		उधार एवं अन्य दायित्व(*)	6,629
		विविध पूँजी प्राप्तियाँ	0
		पूँजी प्राप्तियाँ	**6,677**
संवितरण	कुल संवितरण		62,829
	राजस्व		50,631
	पूँजी		10,712
	कर्ज एवं पेशगियाँ		1,486

(*) उधार एवं अन्य दायित्व : निवल लोक ऋण (प्राप्तियाँ-संवितरण) + अन्तर्राज्यीय परिशोधन + निवल लोक लेखा (प्राप्तियाँ-संवितरण) + निवल अथ एवं अन्त रोकड़ शेष

वर्ष 2018-19 की प्राप्तियाँ व संवितरण

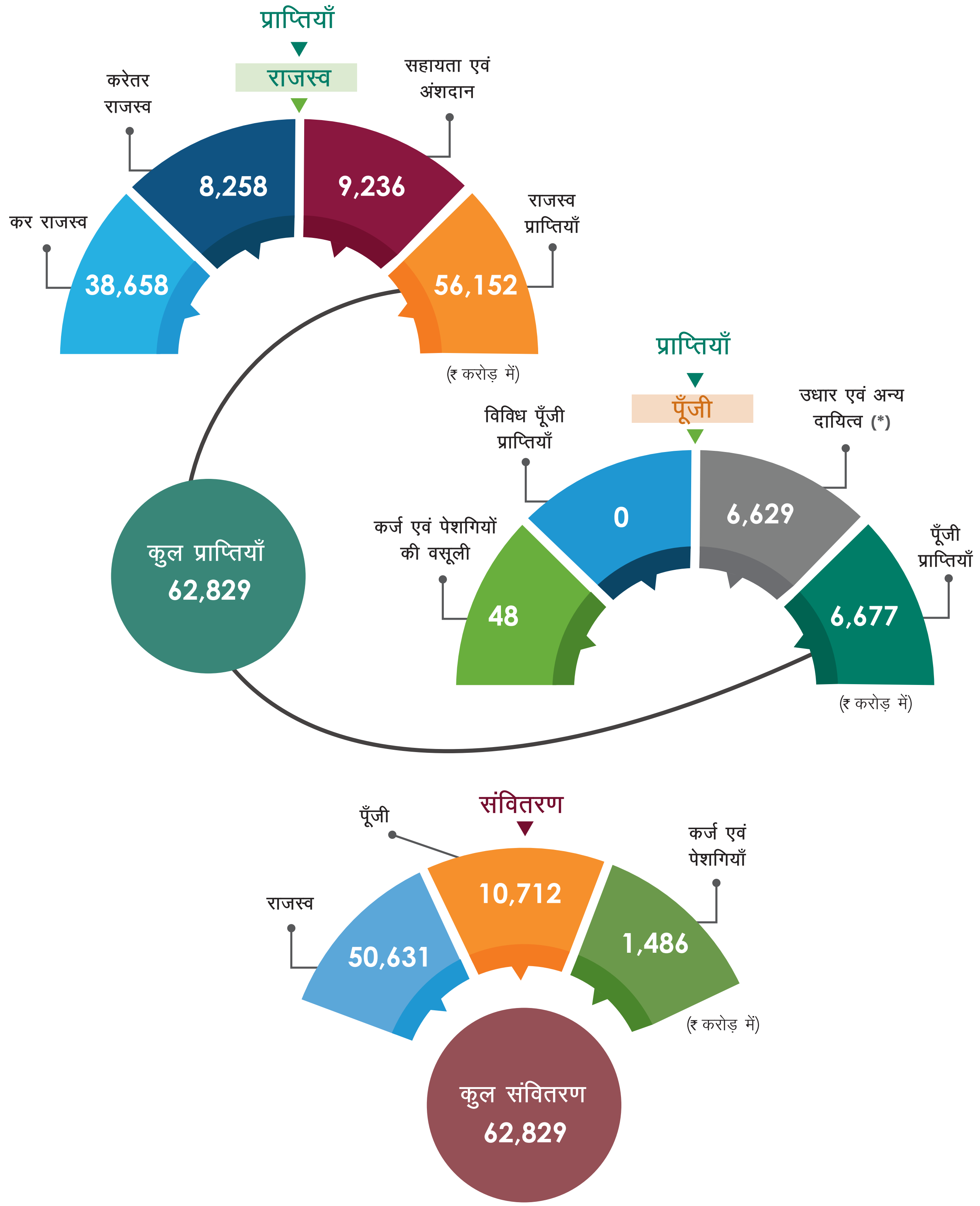

(*) *उधार एवं अन्य दायित्व : निवल लोक ऋण (प्राप्तियाँ-संवितरण) + अन्तर्राज्यीय परिशोधन + निवल लोक लेखा (प्राप्तियाँ-संवितरण) + निवल अथ एवं अन्त रोकड़ शेष*

केन्द्र सरकार, राज्य में विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों/गैर-सरकारी संगठनों को प्रत्यक्ष रूप से वास्तविक निधियों का हस्तांतरण करती है। इस वर्ष, भारत सरकार ने ₹ 304 करोड़ प्रत्यक्ष रूप से विमुक्त किया। चूँकि इन निधियों का उल्लेख राज्य के बजट में नहीं किया जाता है, इसलिए राज्य सरकार के लेखे में ये निधियाँ प्रतिबिम्बित नहीं होते हैं। वर्तमान में वित्त लेखे के खण्ड - II के परिशिष्ट - VI में इन अंतरणों को दर्शाया गया है।

1.3.2 विनियोग लेखे

संविधान के तहत् विधायिका के अधिकृत किये बिना सरकार किसी भी प्रकार का खर्च नहीं कर सकती है। कुछ निर्दिष्ट खर्चों को छोड़कर जो संविधान के समेकित निधि पर प्रभारित हैं, जो विधायिका के वोट के बगैर खर्च किये जा सकते हैं, अन्य सभी खर्चे 'पारित' होते हैं। झारखंड सरकार के बजट में 05 प्रभारित विनियोग, 54 दत्तमत अनुदान, 01 दत्तमत एवं प्रभारित मिश्रित अनुदान हैं। विनियोग लेखे का उद्देश्य यह दर्शाता है कि प्रत्येक वर्ष विनियोग अधिनियम के माध्यम से विधायिका द्वारा प्राधिकृत विनियोग के साथ संकलित वास्तविक व्यय किस सीमा तक हैं।

1.3.3 बजट अनुमानों की कार्य कुशलता

वर्ष के अंत में, विधायिका द्वारा अनुमोदित बजट के खिलाफ झारखंड सरकार का वास्तविक व्यय, ₹20,224 करोड़ (अनुदान का 23 प्रतिशत) का निवल बचत हुआ एवं व्यय की कमी पर ₹555 करोड़ (अनुमान का 93 प्रतिशत) का अधिक आकलन किया गया।

1.4 निधियों के स्रोत तथा उपयोग

1.4.1 अर्थोपाय अग्रिम

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ रख-रखाव में सम्मत न्यूनतम रोकड़ शेष कायम रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से राज्य सरकार अर्थोपाय अग्रिम लेती है। वर्ष 2018-19 के दौरान, झारखंड सरकार ने अनठावन (58) दिनों के लिए साधारण अर्थोपाय पेशगियाँ प्राप्त किया।

1.4.2 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ओवरड्रॉफ्ट

भारतीय रिवर्ज बैंक के साथ रख-रखाव के लिए गए अर्थोपाय अग्रिम के बाद भी यदि न्यूनतम रोकड़ शेष ₹0.45 करोड़ से कम हो जाए, तो भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्रॉफ्ट लिया जाता है। वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य सरकार ने ₹2,030.22 करोड़ के ओवरड्रॉफ्ट सुविधाओं का सहारा लिया है, जिसे झारखण्ड सरकार ने उसी वर्ष लौटा दिया।

1.4.3 निधि प्रवाह विवरण

31 मार्च 2019 तक राज्य के पास ₹5,521 करोड़ का राजस्व अधिशेष एवं ₹ 6,629 करोड़ का राजकोषीय घाटा था। राजकोषीय घाटे को लोक ऋण (₹4,743 करोड़) तथा लोक लेखे में अभिवृद्धि (₹2,316 करोड़) तथा निवल अन्य एवं अंत रोकड़ शेष (₹430 करोड़) से पूरा किया गया। राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹56,152 करोड़) का लगभग 41 प्रतिशत वचनबद्ध व्यय जैसे वेतन (₹12,138 करोड़), ब्याज अदायगियों (₹4,852 करोड़) एवं पेंशन (₹5,991 करोड़) पर व्यय किया गया।

निधियों के स्रोत तथा उपयोग

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राशि
स्रोत	01.04.2018 को अथ रोकड़ शेष	(-) 242
	राजस्व प्राप्तियाँ	56,152
	विविध पूंजी प्राप्तियाँ	0
	कर्ज एवं अग्रिम की वसूली	48
	लोक ऋण	7,803
	लघु बचत भविष्य निधि एवं अन्य	1,120
	आरक्षित एवं निक्षेप निधियां	421
	जमा प्राप्ति	12,879
	सिविल अग्रिम पुनर्भुगतान	303
	उचंत लेखा	32,916
	प्रेषण	10,648
	कुल	**1,22,048**
उपयोग	राजस्व व्यय	50,631
	पूंजी व्यय	10,712
	दिए गए कर्जे	1,486
	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	3,060
	लघु बचत भविष्य निधि एवं अन्य	1,051
	आरक्षित एवं निक्षेप निधियां	42
	खर्च किए गए जमा	11,383
	दिए गए सिविल अग्रिम	304
	उचंत लेखा	32,603
	प्रेषण	10,588
	31.03.2019 को अन्त रोकड़ शेष	188
	कुल	**1,22,048**

1.4.4. रुपये कहाँ से आए

- 47% लोक लेखा
- 32% कर राजस्व
- 7% करेतर राजस्व
- 8% सहायक अनुदान
- 6% लोक ऋण आकस्मिकता निधि

1.4.5. रुपये कहाँ गए

- 4% ब्याज भुगतान
- 2% कर्ज की अदायगी
- 15% स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान
- 5% पेंशन भुगतान
- 10% वेतन का भुगतान
- 64% अन्य क्रियाकलाप

1.5. लेखे की विशिष्टता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्रोत	ब.प्रा. 2018-19	वास्तविकी 2018-19	वास्तविकी ब.प्रा. की प्रतिशतता	स.रा.घ.उ.[(#)] की वास्तविकी से प्रतिशतता
1	कर राजस्व @	46,250	38,658	84	13
2	करेतर राजस्व	9,030	8,258	91	3
3	सहायक अनुदान एवं अंशदान	13,850	9,236	67	3
4	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)	69,130	56,152	81	20
5	विविध पूँजी प्राप्ति	-	0	-	0
6	कर्जे एवं अग्रिमों की वसूली	70	48	69	0
7	उधार एवं अन्य दायित्व (अ)	11,000	6,629	60	2
8	पूंजी प्राप्तियाँ (5+6+7)	11,070	6,677	60	2
9	कुल प्राप्तियाँ (4+8)	80,200	62,829	78	22
10	स्थापना व्यय (*)	30,091	26,763	89	9
11	राजस्व लेखा पर गै.यो. व्यय	30,051	26,648	89	9
12	10 में से ब्याज भुगतान पर स्थापना व्यय	5,886	4,852	82	2
13	पूंजी लेखा पर स्थापना व्यय	40	115	287	0
14	योजना व्यय (*)	44,960	36,066	80	13
15	राजस्व लेखा पर योजना व्यय	32,694	23,983	73	8
16	पूंजी लेखा पर योजना व्यय	12,266	12,083	98	4
17	कुल व्यय (10+14)	75,051	62,829	84	22
18	राजस्व व्यय (11+15)	62,745	50,631	81	18
19	पूंजी व्यय (13+16) ($)	12,306	12,198	99	4
20	राजस्व अधिशेष (4-18)	6,385	5,521	86	2
21	राजकोषिय घाटा (4+5+6-17)	5,851	6,629	113	2

@ *संघीय करों में राज्य का हिस्सा का ब.प्रा. तथा वास्तविकी क्रमशः ₹ 27,000 करोड़ तथा ₹ 23,906 करोड़ सम्मिलित है।*

(#) *सकल राज्य घरेलु उत्पाद का ₹ 2,86,598 करोड़ जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है, को लिया गया है।*

($) *पूंजी लेखा पर व्यय में पूंजी व्यय (₹ 10,712) एवं संवितरित कर्जे तथा अग्रिमों (₹ 1,486 करोड़) सम्मिलित है।*

(*) *व्यय में ₹ 73 करोड़ स्थापना एवं ₹ 1,413 करोड़ राज्यस्तरीय सम्मिलित है जो कर्ज एवं अग्रिमों से संबंधित है।*

(अ) *उधार एवं अन्य दायित्व : निवल लोक ऋण (प्राप्तियाँ - संवितरण) + अन्तर्राज्यीय परिशोधन + निवल आकस्मिकता निधि + निवल लोक लेखा (प्राप्तियाँ - संवितरण) + निवल अथ एवं अन्त रोकड़ शेष।*

वर्ष 2018-19 के दौरान राजस्व अधिकोष ₹5,521 करोड़ (2017-18 में ₹1,804 अधिशेष) एवं राजकोषीय घाटा ₹6,629 करोड़ (2017-18 में ₹11,933 घाटा) सकल राज्य घरेलु उत्पाद का 2 प्रतिशत क्रमशः दर्शाता है। राजकोषीय घाटा कुल व्यय का 11 प्रतिशत है।

घाटा एवं अधिशेष क्या दर्शाता है?

घाटा

राजस्व एवं व्यय के बीच के अन्तर को प्रकट करता है, घाटों के प्रकार, घाटा कैसे सम्पोषित हुआ तथा निधियों का उपयोग वित्तीय प्रबंधन में विवेक का महत्वपूर्ण सूचकांक है।

राजस्व घाटा/अधिशेष

राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय के बीच के अन्तर को प्रकट करता है। राजस्व व्यय सरकार के वर्तमान स्थापना के रख-रखाव के लिए आवश्यक है तथा आदर्शतः राजस्व प्राप्तियों से ही उसे पूर्णतः पूरा किया जाना चाहिए।

राजकोषीय घाटा/अधिशेष

कुल प्राप्तियाँ (उधार को छोड़कर) तथा कुल व्यय के बीच के अन्तर को प्रकट करता है। इसलिए यह अन्तर उधारों द्वारा व्यय को किस सीमा तक सम्पोषित किया गया है। सूचित करता है आदर्शतः उधारों को पूँजीगत परियोजनाओं में निवेषित किया जाना चाहिए।

1.6 राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005

झारखंड सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 को अधिनियमित किया है। इस अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट अवधि में नियत राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त करना था। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान वित्तीय अधिनियमों के तहत निर्धारित नियमों के तहत प्राप्तियाँ इस प्रकार थीं -

क्र.सं.	वित्तीय मापदण्ड	वास्तविक (₹ करोड़ में)	जी.एस.डी.पी. का अनुपात*	
			लक्ष्य	उपलब्धि
1	राजस्व घाटा	5,521 (अधिशेष)	$	लक्ष्य प्राप्त किया गया
2	राजकोषीय घाटा	6,629	3 प्रतिशत या कम	2.31 (लक्ष्य प्राप्त हुआ)
3	ऋण एवं अन्य दायित्व	83,783		
4	बकाया प्रत्याभूति	157		

** सकल राज्य घरेलू उत्पाद का (₹ 2,86,598.38 करोड़) जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है, को लिया गया है।*

$ राजस्व घाटा 2011-12 में घट कर शून्य हो गया था।

राज्य सरकार ने झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत विधायिका के लिए आवश्यक उद्घोषित विधान मण्डल में प्रस्तुत किए।

राज्य सरकार के पास 2017-18 में ₹1,804 करोड़ एवं 2018-19 के दौरान ₹5,521 करोड़ का राजस्व अधिशेष था। यद्यपि, राज्य सरकार एवं भारत सरकार के बीच सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राजकोषीय घाटा की प्रतिशतता के परिकलन में मत भिन्नता है। राज्य सरकार के आकलन के दौरान स.रा.घ.उ. में राजकोषीय घाटे के अनुपात खर्च 2014-19 में 4.76 एवं 2.31 प्रतिशत की सीमा के बीच था।

1.6.1 राजस्व घाटा/अधिशेष की प्रवृति

राजस्व घाटा/अधिशेष की प्रवृति

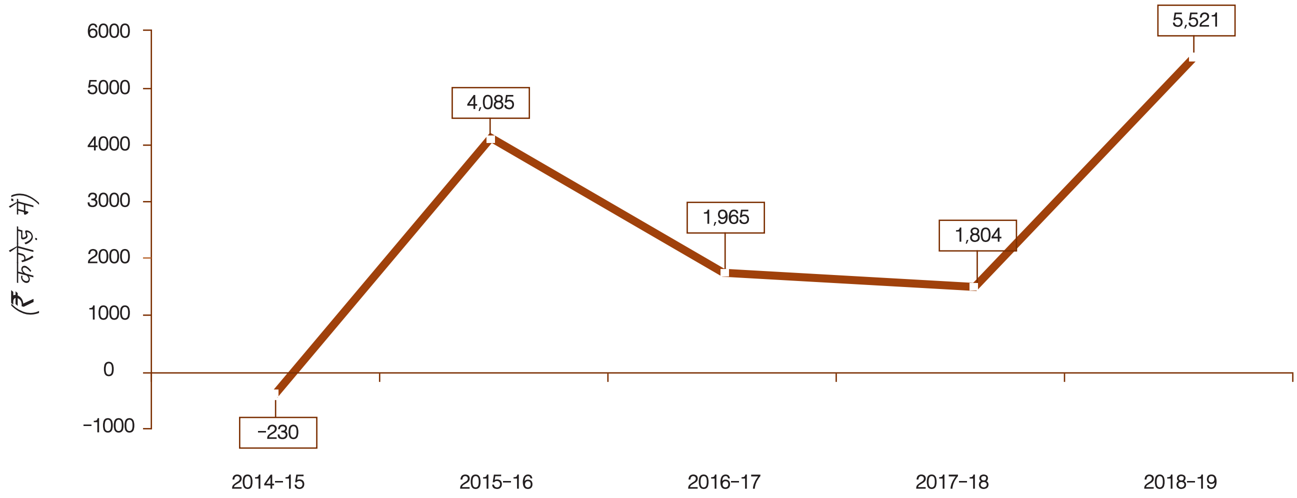

1.6.2 राजकोषीय घाटा की प्रवृति

राजकोषीय घाटा की प्रवृति

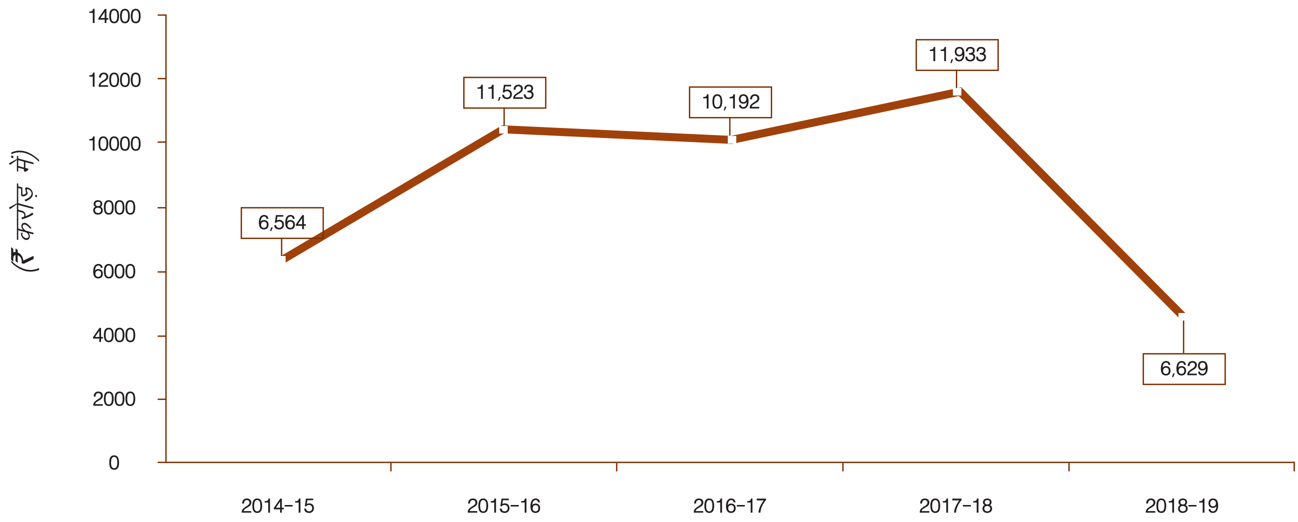

1.6.3 उधार निधि से पूंजीगत व्यय पर खर्च का अनुपात –

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उधार निधि	पूंजीगत व्यय
2014-15	6,690	6,367
2015-16	13,245	15,639
2016-17	7,081	12,196
2017-18	8,137	13,805
2018-19	7,803	12,198

उधार निधि एवं पूंजीगत व्यय

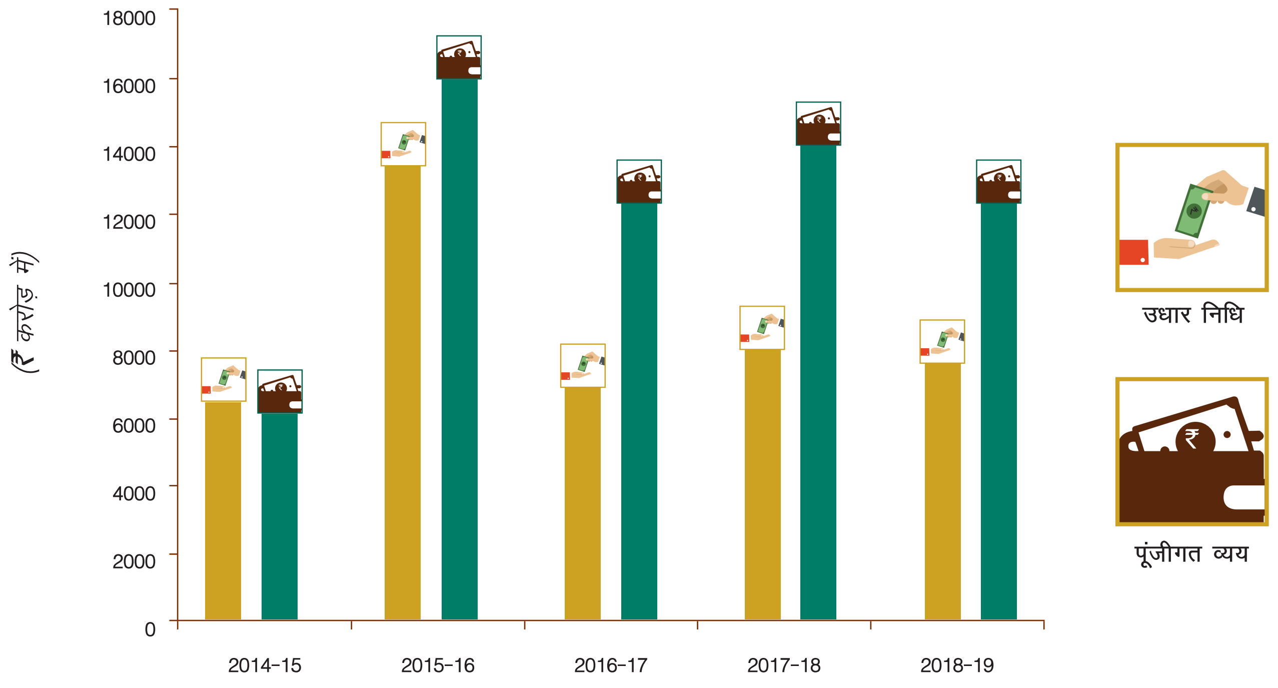

सरकार आम तौर पर राजकोषीय घाटे एवं उधार निधियों का उपयोग पूंजी/परिसंपत्तियों के सृजन हेतु या आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए करता है ताकि उधार के माध्यम से बनाई गई परिसंपत्तियां एक आय प्रवाह उत्पन्न करके अपने लिए भुगतान कर सकें। अतः यह अपेक्षा की जाती है कि पूंजी परिसंपत्तियसों के सृजन हेतु उधार ली गई निधियों का पूर्णतः उपयोग किया जाए तथा मूलधन एवं ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु राजस्व प्राप्तियों का उपयोग हो। यद्दपि, राज्य सरकार 64 प्रतिशत चालू वर्ष में अपने पूंजीगत व्यय (₹12,198) के लिए उधारों से (₹7,803 करोड़) संपोषित किया।

अध्याय – 2
प्राप्तियाँ

2.1 भूमिका

सरकार की प्राप्तियों को दो भागों यथा राजस्व प्राप्तियाँ तथा पूंजीगत प्राप्तियाँ में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2018-19 के लिए कुल प्राप्तियाँ ₹62,829 करोड़ था।

2.2 राजस्व प्राप्तियाँ

कर राजस्व

भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 (3) के अधीन संघीय करों में राज्य का हिस्सा से संबंधित करों को राज्य सरकार द्वारा संग्रहण करना एवं रखना शामिल है।

करेतर राजस्व

ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश, लाभ इत्यादि शामिल हैं।

सहायक अनुदान

अनिवार्यतः संघीय सरकार से राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता के रूप में मिलने वाली राशि विदेशी सरकारों से प्राप्त होने वाली वाहृय अनुदान सहायता एवं सहायता उपस्कर एवं सामग्री जिसे संघीय सरकार के माध्यम से विभिन्न सरकारों को उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही राज्य सरकार भी संस्थाओं यथा-पंचायती राज संस्थान, स्वायतशासी निकायों आदि को सहायक अनुदान देती है।

राजस्व प्राप्तियाँ

2.2.1 राजस्व प्राप्तियाँ का घटक (2018-19)

(₹ करोड़ में)

	घटक	वास्तविकी	राजस्व प्राप्तियाँ का प्रतिशत
क.	कर राजस्व	38,658	69
	वस्तु एवं सेवा कर	14,572	26
	आय तथा व्यय पर कर	14,558	26
	सम्पति एवं पूंजीगत संव्यवहारों पर कर	843	2
	वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर	8,685	15
ख.	करेतर राजस्व	8,258	15
	ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश तथा लाभ	47	0
	सामान्य सेवायें	195	1
	सामाजिक सेवायें	1,211	2
	आर्थिक सेवायें	6,805	12
ग.	सहायक अनुदान एवं अंशदान	9,236	16
	कुल राजस्व प्राप्तियाँ	56,152	100

2.2.2 राजस्व प्राप्तियों का रूझान

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
कर राजस्व	19,837 (9)	27,448 (11)	32,441 (13)	33,497 (13)	38,658 (13)
करेतर राजस्व	4,335 (2)	5,853 (2)	5,351 (2)	7,847 (3)	8,258 (3)
सहायक अनुदान	7,393 (3)	7,337 (3)	9,262 (4)	11,412 (4)	9,236 (3)
कुल राजस्व प्राप्तियाँ	31,565 (15)	40,638 (16)	47,054 (19)	52,756 (21)	56,152 (20)
स.रा.घ.उ.	**2,17,107**	**2,41,955**	**2,53,536**	**2,55,271**	**2,86,598***

** (₹2,86,598 करोड़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद) जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है, को लिया गया है।*

टिप्पणी : लघु कोष्ठक में आँकड़े स.रा.घ.उ., जो कि पूर्णांकित आंकड़े के रूप में है, की प्रतिशतता को प्रदर्शित करता है।

वर्ष 2018-19 के दौरान राजस्व संग्रह में वृद्धि वर्ष 2017-18 की तुलना में 12 *प्रतिशत* था जबकि वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के बीच स.रा.घ.उ. में वृद्धि 6.44 *प्रतिशत* ही था। कर राजस्व में 15 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई तथा करतेर राजस्व में 05 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। निगम कर (₹8,313 करोड़) अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग (₹5,935 करोड़), बिक्री व्यापार आदि पर कर (₹3,475 करोड़) एवं आय पर निगम कर से भिन्न कर (₹6.122 करोड़) के अन्तर्गत महत्वपूर्ण संग्रह किया गया। निश्चित कर घटकों, राज्य वस्तु एवं सेवा कर (₹8,201 करोड़), समेकित वस्तु एवं सेवा कर (₹471 करोड़) राज्य उत्पाद शुल्क (₹1,083 करोड़), संघ-उत्पाद शुल्क (₹1,126 करोड़) एवं सेवा कर (₹220 करोड़) के अन्तर्गत राज्य का स्व राजस्व उच्च प्रवृत्ति को दर्शाता है।

राजस्व प्राप्तियों का रूझान

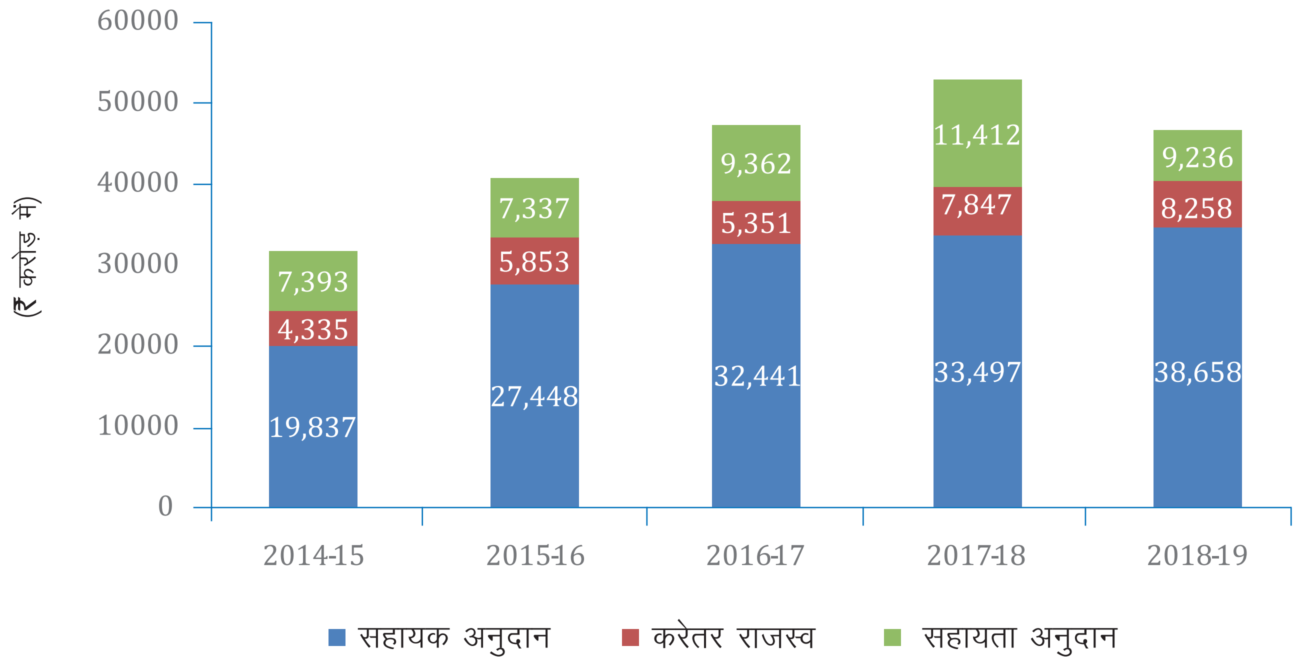

2.3 कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्षेत्रवार राजस्व प्राप्तियाँ					
	2014-15	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
वस्तु तथा सेवा कर	..	..	..	6,558	14,572
आय तथा व्यय पर कर	5,736	8,617	10,466	12,016	14,558
सम्पति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर	623	697	861	625	843
वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	13,478	18,134	21,114	14,298	8,685
कुल कर राजस्व	**19,837**	**27,448**	**32,441**	**33,497**	**38,658**

वर्ष 2018-19 के दौरान सकल कर राजस्व में बढ़ोतरी, भारत सरकार से राज्य अंश प्राप्त होने एवं निगम कर (₹8,313 करोड़), बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर (₹3,475 करोड़), निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर (₹6,122 करोड़), राज्य वस्तु तथा सेवा कर (₹8,201 करोड़), सेवा कर (₹220 करोड़), संघ उत्पाद शुल्क (₹1,126 करोड़), सीमा शुल्क (₹1,694 करोड़), एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (₹471 करोड़)।

स.रा.घ.उ. के अनुपात में मुख्य करों की प्रवृत्ति

2.3.1 राज्य की स्व कर राजस्व एवं संघीय करों में राज्य का अंश संग्रहण का प्रदर्शन

कर राजस्व दो स्रोतो से राज्य की स्व कर एवं संघीय करो का हस्तांतरण से राज्य सरकार को प्राप्त होता है।

वर्ष	कर राजस्व ₹ करोड़ में	संघीय करों में राज्य का हिस्सा ₹ करोड़ में	राज्य का स्व कर राजस्व: कर राजस्व ₹ करोड़ में	राज्य का स्व कर राजस्व: स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2014-15	19,837	9,487	10,350	5.24
2015-16	27,448	15,969	11,479	4.74
2016-17	32,441	19,142	13,299	5.25
2017-18	33,497	21,144	12,353	4.84
2018-19	38,658	23,906	14,752	5.15

निम्न तालिका में विगत पाँच वर्षों के दौरान कर संग्रह के दो स्रोतों को तुलनात्मक रूप में दर्शाया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राज्य का स्व कर संग्रह	10,350	11,479	13,299	12,353	14,752
संघीय करों का हस्तांतरण	9,487	15,969	19,142	21,144	23,906
कुल कर राजस्व	**19,837**	**27,448**	**32,441**	**33,497**	**38,658**
कुल कर संग्रह में राज्य का स्व कर का प्रतिशतता	52	42	41	37	38

सकल राजस्व के अनुपात में राज्य का अपना कर संग्रहण वर्ष 2014-15 से घटते हुए क्रम में दिखाया गया है। वर्ष 2014-15 के तुलना में राज्य का स्व कर राजस्व में 14 प्रतिशत कम हो गया है।

2.3.2 विगत पाँच वर्षों के दौरान राज्य के निजी कर संग्रहण का रूझान

(₹ करोड़ में)

कर	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	8,070	8,999	10,549	5,715	3,475
राज्य वस्तु तथा सेवा कर	-	-	-	4,124	8,201
राज्य उत्पाद शुल्क	740	912	962	841	1,083
वाहनों पर कर	660	633	682	778	864
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	531	532	607	469	451
विद्युत पर कर एवं शुल्क	175	126	152	184	209
भूमि राजस्व	84	164	240	156	389
वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर	0.28	0.17	0.01	0.00	0.00
अन्य कर	89.72	112.83	106.99	86	80
कुल राज्य का निजी कर	**10,350**	**11,479**	**13,299**	**12,353**	**14,752**

2.4 कर संग्रहण की दक्षता

(₹ करोड़ में)

कर	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1. बिक्री, व्यापार आदि पर कर					
राजस्व वसूली	8,070	8,999	10,549	5,715	3,475
संग्रहण पर व्यय	47	48	49	63	83
कर वसूली पर लागत (प्रतिशत में)	0.58	0.53	0.46	1.10	2.38
2. राज्य उत्पाद कर					
राजस्व वसूली	740	912	962	841	1,083
संग्रहण पर व्यय	14	19	17	20	22
कर वसूली पर लागत (प्रतिशत में)	1.89	2.08	1.77	2.38	2.03
3. वाहन, माल एवं यात्री कर					
राजस्व वसूली	661	633	682	778	864
संग्रहण पर व्यय	7	7	7	7	8
कर वसूली पर लागत (प्रतिशत में)	1.06	1.11	1.03	0.90	0.93
4. स्टाम्प एवं पंजीरण कर					
राजस्व वसूली	531	532	607	469	451
संग्रहण पर व्यय	17	17	20	17	22
कर वसूली पर लागत	3.20	3.20	3.29	3.63	4.88

अन्य करों के संग्रहण पर व्यय के मुकाबले, स्टाम्प एवं पंजीकरण कर के संग्रहण पर व्यय अत्यधिक था।

2.5 विगत पाँच वर्षों के दौरान संघीय करों में राज्य का हिस्सा की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष का वर्णन	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
निगम कर	3,313	5,031	6,135	6,475	8,313
निगम कर से भिन्न आय पर कर	2,366	3,503	4,264	5,467	6,122
धन कर	9	1	14	(-)0.19	3.05
सीमा शुल्क	1,534	2,551	2,639	2,134	1,694
संघ उत्पाद शुल्क	866	2,117	3,013	2,230	1,126
सेवा कर	1,399	2,755	3,077	2,404	220
एकीकृत माल एवं सेवा कर	...	...	...	2,134	471
केंद्रीय माल एवं सेवा कर	...	...	...	299	5,900
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	...	10	(*)	(-)0.01	12.34
संघीय करों में राज्य का हिस्सा	**9,487**	**15,968**	**19,142**	**21,143**	**23,906**
कुल कर राजस्व	**19,837**	**27,448**	**32,441**	**33,497**	**38,658**
कुल कर राजस्व की संघीय करों की प्रतिशतता	48	58	59	63	62

(*) यहाँ पर मात्र ₹ 7,000 है।

2.6 सहायक अनुदान

सहायतार्थ अनुदान भारत सरकार से प्राप्त सहायता को प्रदर्शित करती हैं तथा इसमें नीति आयोग द्वारा स्वीकृत राज्य आयोजनागत योजनाएं एवं केंद्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान सम्मिलित है। 2018-19 के दौरान सहायतार्थ अनुदान के अंतर्गत कुल प्राप्तियां ₹9,236 करोड़ नीचे दर्शाया गया हैं -

सहायक अनुदान

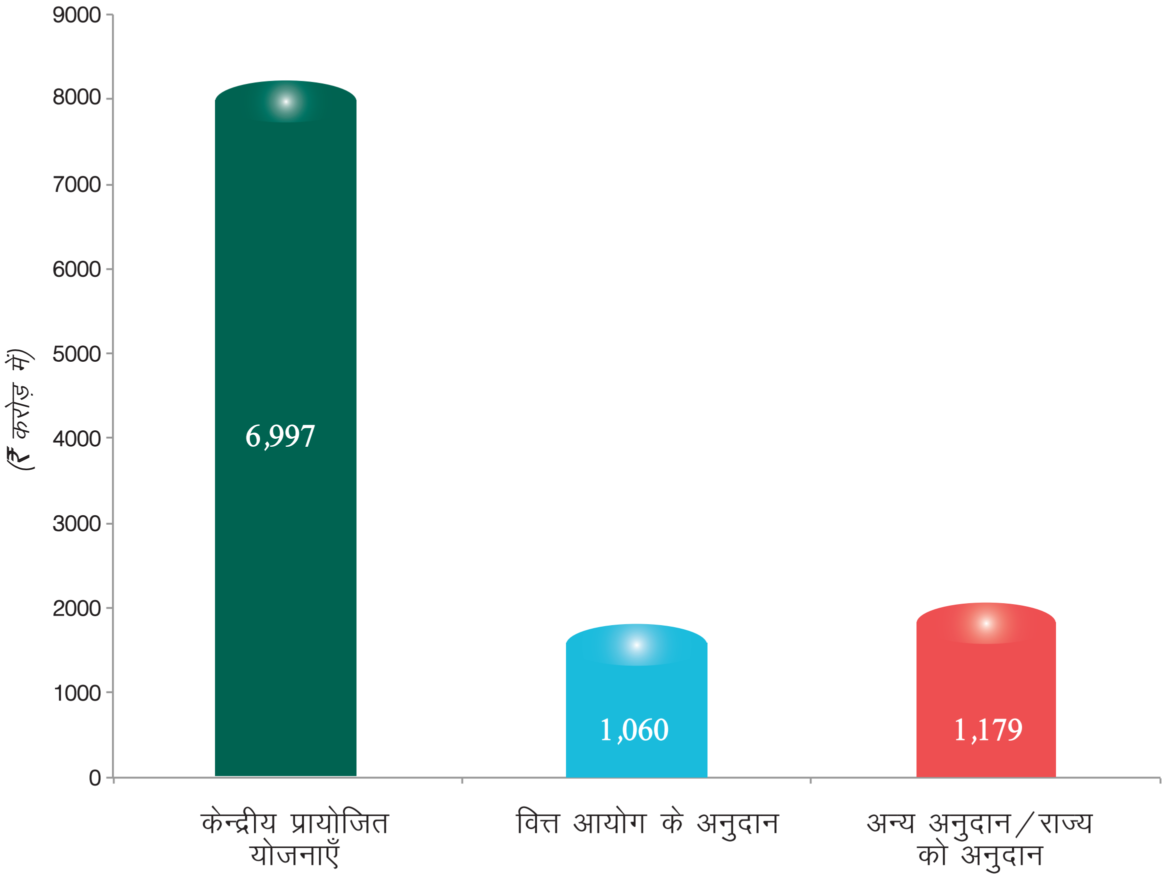

भारत सरकार से गैर-योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 से राज्यों को सहायता अनुदान को छोड़ दिया गया है। योजना के लिए सहायता अनुदान का हिस्सा (केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ वित्त आयोग के अनुदान एवं अन्य अनुदान/राज्यों को अनुदान) वर्ष 2015-16 में 1 प्रतिशत की कमी, 2016-17 में 25 प्रतिशत, 2017-18 में 54 प्रतिशत, 2018-19 में 25 प्रतिशत की वृद्धि वर्ष 2014-15 में प्राप्त सहायता अनुदान की तुलना में हुई। सहायक अनुदान का बजट अनुमान ₹13,850 करोड़ के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा वास्तव में ₹9,236 करोड़ सहायता अनुदान (बजट अनुमान का 67 प्रतिशत) प्राप्त हुआ है।

सहायक अनुदान का रूझान

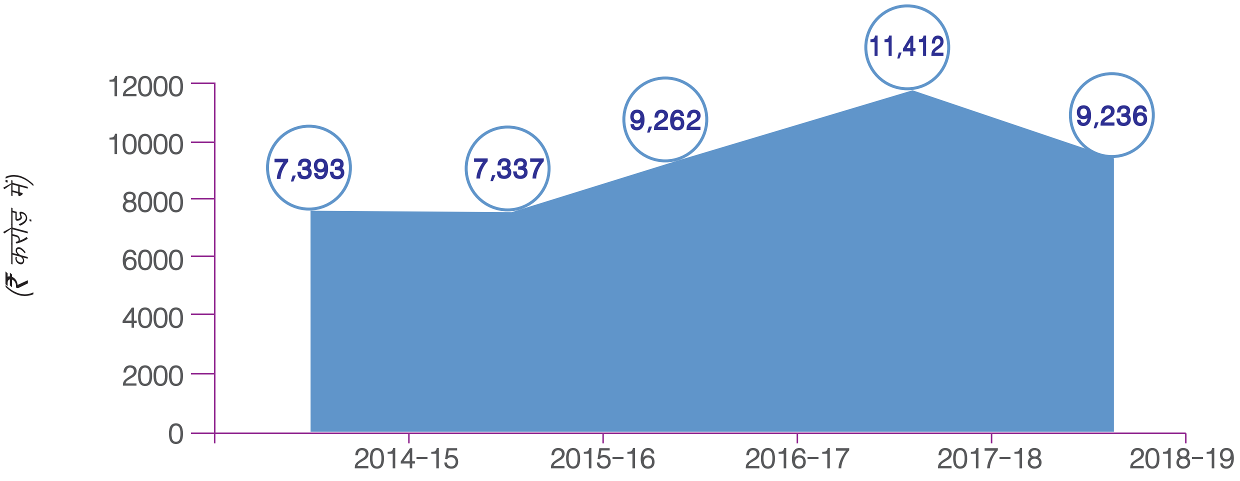

2.7 लोक ऋण

विगत पाँच वर्षों में लोक ऋण की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरणी	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
आन्तरिक ऋण	6,537	13,080	6,847	7,905	7,530
केन्द्रीय कर्जे	153	165	234	232	273
कुल लोक ऋण	**6,690**	**13,245**	**7,081**	**8,137**	**7,803**

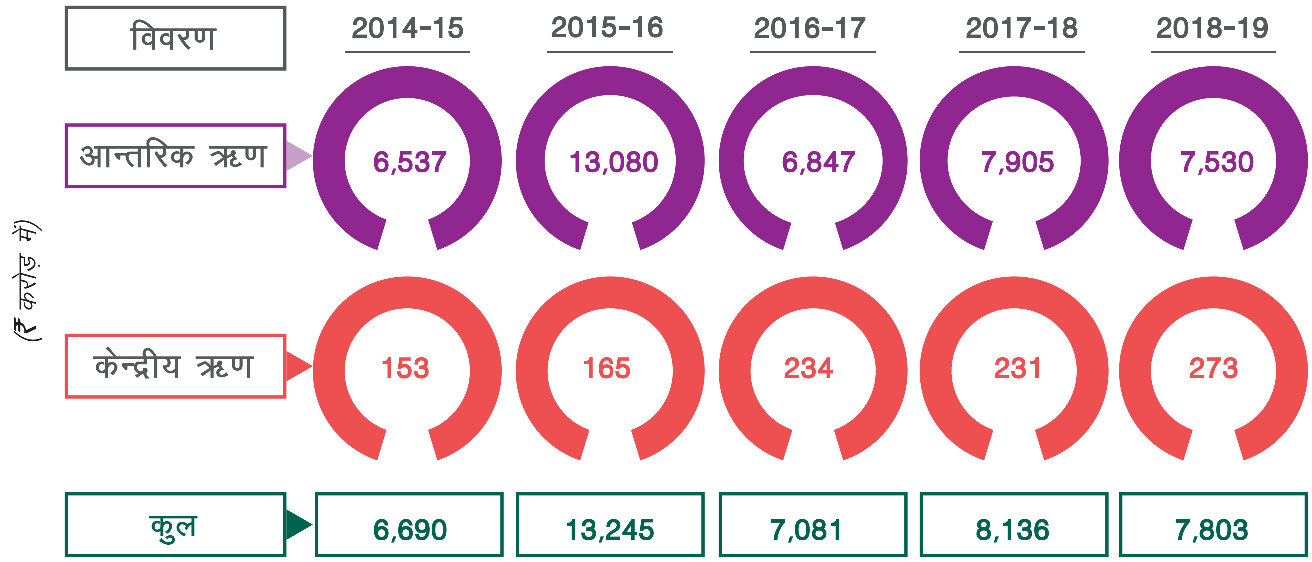

वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 5,500 करोड़ ऋण 8.31 प्रतिशत से 8.84 प्रतिशत की ब्याज की दर से, खुला बाजार से नौ ऋण उठाए गए थे जो वर्ष 2028-29 तक प्रतिदेय है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने वित्तीय संस्थानों से ₹2,022 करोड़ उठाये। इस प्रकार वर्ष 2018-19 में कुल आन्तरिक ऋण ₹7,530 करोड़ लिया गया। सरकार को ऋणों तथा अग्रिमों के रूप में भारत सरकार से ₹273 करोड़ प्राप्त हुआ।

अध्याय – 3
व्यय

3.1 भूमिका

व्यय को राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राजस्व व्यय का उपयोग किसी संगठन के दिन-प्रतिदिन के व्यय को पूरा करने क लिए किया जाता है। पूंजीगत व्यय का उपयोग स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण अथवा ऐसी परिसंपत्तियों की उपयोगिता में वृद्धि अथवा स्थायी दायित्वों में कमी के लिए किया जाता है। व्यय को अग्रेतर योजना एवं गैर-योजना के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

सामान्य सेवाएँ

न्याय, पुलिस, जेल, लोक निर्माण विभाग, पेंशन इत्यादि शामिल है।

सामाजिक सेवाएँ

शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल पूर्ति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों का कल्याण इत्यादि शामिल है।

आर्थिक सेवाएँ

कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता ऊर्जा, उद्योग, परिवहन इत्यादि शामिल है।

3.2 राजस्व व्यय

विगत पाँचों वर्षों के दौरान राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत बजट प्राक्कलन के विरूद्ध व्यय में ह्रास/आधिक्य को नीचे दर्शाया गया है :-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
बजट प्राक्कलन	39,488	43,343	48,762	57,861	62,745
वास्तविकी	31,795	36,553	45,089	50,952	50,631
अन्तर (-) बचत/(+) आधिक्य	(-)7,693	(-)6,790	(-) 3,673	(-) 6,909	(-) 12,114
बजट प्राक्कलन के ऊपर अन्तर की प्रतिशतता	(-)19	(-)16	(-) 8	(-)12	(-)19

कुल राजस्व व्यय का लगभग 50 प्रतिशत प्रतिबद्ध व्यय पर जैसे वेतन एवं मजदूरी (₹12,138 करोड़), ब्याज भुगतान (₹4,852 करोड़), पेंशन (₹5,991 करोड़) एवं सबसिडी (₹2,092 करोड़) पर खर्च किया गया जो कि राज्य सरकार के प्रतिबद्ध दायित्व थे।

विगत पाँच वर्षों में प्रतिबद्ध और अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय की स्थिति को नीचे दर्शाया गया है।

(₹ करोड़ में)

संघटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
कुल राजस्व व्यय	31,795	36,553	45,089	50,952	50,631
प्रतिबद्ध राजस्व व्यय#	13,809	16,050	19,093	23,236	25,073
कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध राजस्व व्यय का प्रतिशत	43	44	42	46	50
अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय	17,986	20,503	25,996	27,716	25,558

 # प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में वेतन, ब्याज, पेंशन वं सबसिडी भुगतान पर किया खर्च सम्मिलित है।

यह देखा गया है कि विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय के वर्ष 2018-19 में काफी वृद्धि हुई। कुल राजस्व व्यय, वर्ष 2014-15 में ₹31,795 करोड़ से वर्ष 2018-19 में ₹50,631 करोड़ 59 प्रतिशत बढ़ गया तथा उसी अवधि के दौरान प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में 82 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

3.2.1 राजस्व व्यय (2018-19) का खण्डवार वितरण

(₹ करोड़ में)

संघटक	राशि	प्रतिशतता
क. राज्य के अंग	661	1.31
ख. राजकोषीय सेवायें		
(i) सम्पत्ति एवं पूंजीगत लेन-देनों पर करों का संग्रहण	341	0.67
(ii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण	114	0.23
(iii) अन्य राजकोषीय सेवायें	3	0.01
ग. ब्याज अदायगियाँ एवं ऋण शोधन कार्य	4,852	9.58
घ. प्रशासनिक सेवायें	5,689	11.24
च. पेंशन एवं विविध सामान्य सेवायें	5,996	11.84
छ. सामाजिक सेवायें	18,786	37.10
ज. आर्थिक सेवायें	14,189	28.02
झ. सहायक अनुदान एवं अंशदान	...	...
कुल व्यय (राजस्व लेखा)	50,631	100.00

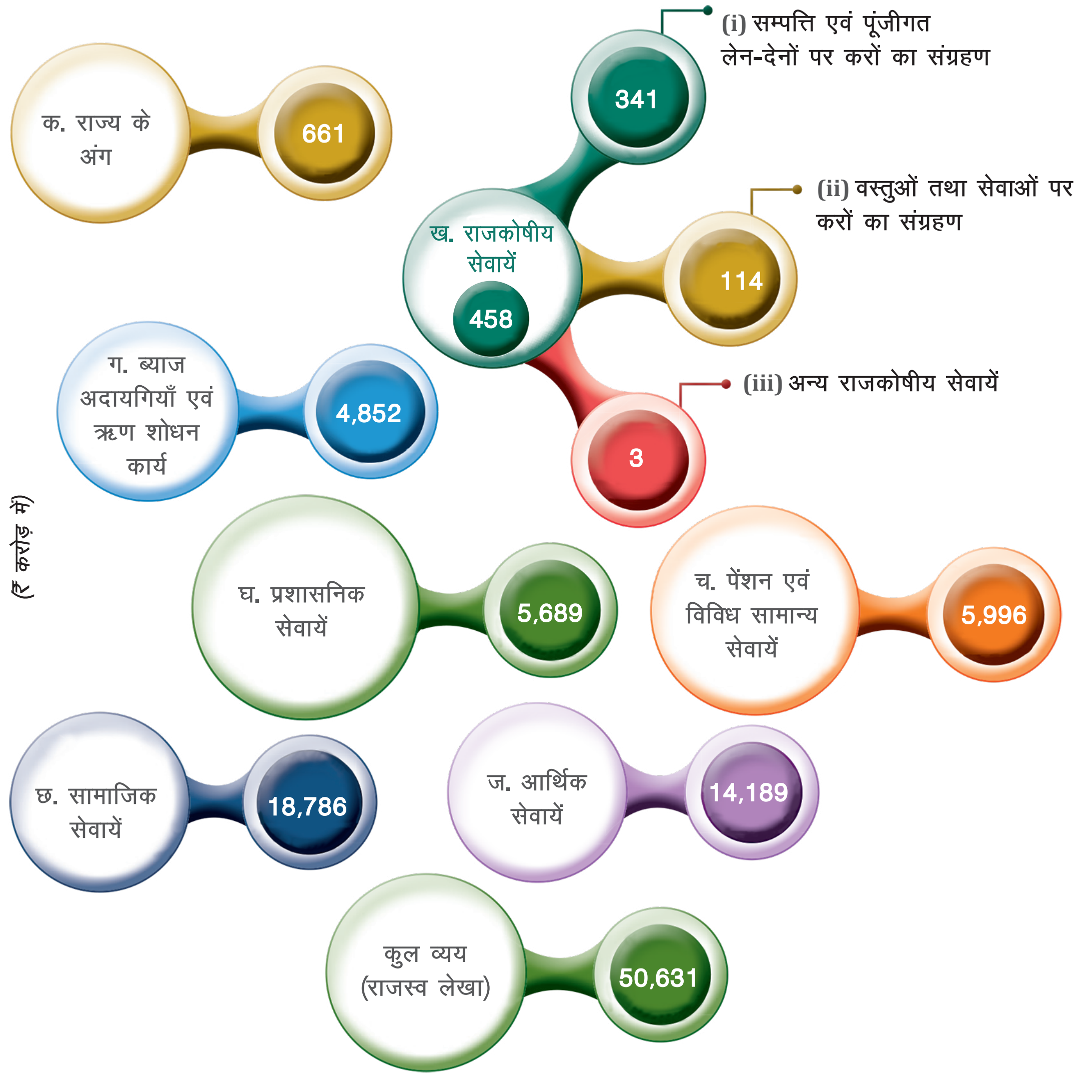

3.2.2 राजस्व व्यय (2014-15 से 2018-19) के मुख्य घटक

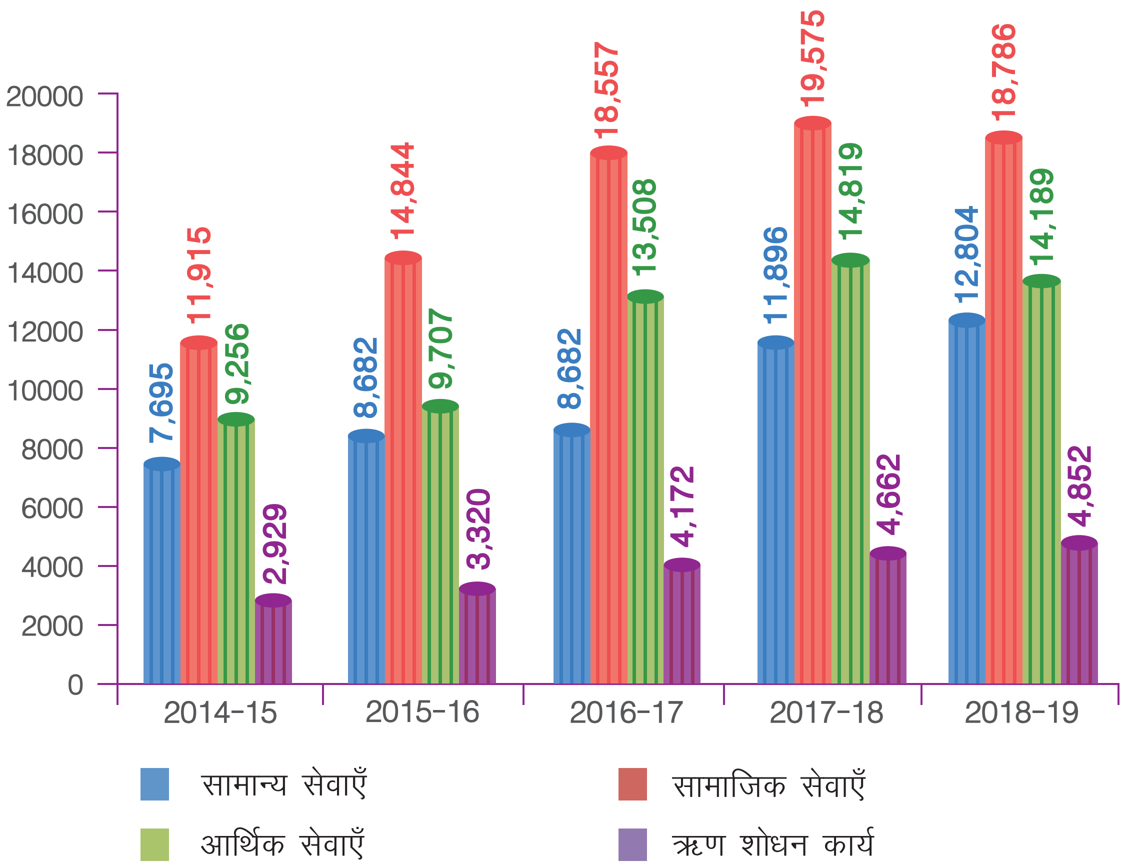

3.3 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय वृद्धि प्रक्रिया को लगातार बनाये रखने के लिए अत्यन्त जरूरी है। वर्ष 2018-19 में ₹12,198 करोड़ के पूंजीगत व्यय (जी.एस.डी.पी. के 4 प्रतिशत) बजट अनुमानों से ₹108 करोड़ कम था (अधिक व्यय ₹75 करोड़ गैर-योजना व्यय के अधीन एवं ₹183 करोड़ कम व्यय राज्य योजना के अधीन)। वर्ष 2014-15 से पूंजीगत व्यय ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के समान्तर वृद्धि नहीं की। जैसा की नीचे सारणी से प्रतीत होता है।

क्र. सं.	घटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	बजट अनुमान	8,862	8,761	6,995	12,738	12,306
2	वास्तविक व्यय (#)	6,367	15,639	12,196	13,804	12,198
3	बजट अनुमानों से वास्तविक व्यय की प्रतिशतता	72	179	174	108	99
4	पूंजीगत व्यय में वार्षिक वृद्धि	29	146	(-)22	13	(-)12
5	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1,97,514	2,41,955	2,53,536	2,55,271	2,86,598
6	सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वार्षिक वृद्धि	14	23	5	1	12

(#) इसमें ऋणों एवं अग्रिमों का व्यय सम्मिलित है।

3.3.1. पूंजीगत व्यय का खण्डवार वितरण

वर्ष 2018-19 के दौरान सरकार के द्वारा चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर ₹273 करोड़, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर ₹395 करोड़, अन्य ग्रामीण विकास योजना पर ₹2,461 करोड़ तथा सड़क एवं सेतु पर ₹3,843 करोड़ खर्च किया गया।

3.3.2 पूंजीगत तथा राजस्व व्यय का खण्डवार वितरण

विगत पाँच वर्षों में पूंजीगत तथा राजस्व व्यय का तुलनात्मक क्षेत्रवार विवरण निम्न दिखाया गया है।

(₹ करोड़ में)

खण्ड		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सामान्य सेवाएँ	पूंजी	326	571	590	807	791
	राजस्व	10,623	12,002	13,024	16,558	17,656
सामाजिक सेवाएँ	पूंजी	910	1,023	1,532	1,528	1,615
	राजस्व	11,915	14,844	18,557	19,575	18,786
आर्थिक सेवाएँ	पूंजी	4,307	6,564	8,739	9,618	8,305
	राजस्व	9,256	9,707	13,508	14,819	14,189
सहायता अनुदान	पूंजी	5	8	105	..	-
	राजस्व	12,399	14,883	20,227	20,714	17,976

3.4 लेखांकन मानकों का अनुपालन

(i) **सरकारों द्वारा दी गई गारंटी (आईजीएएस-1) :** राज्य सरकार द्वारा किसी भी राज्य सरकार के उपक्रमों, सरकारी उद्यमों इत्यादि को दी गई गारंटी सूचित नहीं की गई है। हालांकि डी.वी.सी. से खरीदी जा रही विद्युत के विरूद्ध मासिक बिल के भुगतान के लिए झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को अतिरिक्त ऋण पत्र खोले जाने के लिये झारखण्ड विद्युत बोर्ड को ₹157.15 करोड़ की इसमें अतिरिक्त ₹450 करोड़ 31-03-2020 तक झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को दिया गया है राज्य गारंटी प्रदान की गई।

(ii) **सहायक अनुदान का लेखा वर्गीकरण (आईजीएएस-2) :** वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य सरकार ने पूंजीगत परिव्यय से कोई सहायक अनुदान नहीं दिया है।

(iii) **सरकार द्वारा लिखे गए ऋण और अग्रिम :** ऋण और अग्रिमों के लिए भारत सरकार के लेखा मानकों के तहत आवश्यक जानकारी अपूर्ण है, क्योंकि इसकी पुष्टि राज्य सरकार द्वारा नहीं की गई है। ऋण और अग्रिमों के संबंध में 31 मार्च 2019 को अतिदेय मूलधन और ब्याज की विस्तृत जानकारी, जिसका लेखा-जोखा राज्य सरकार द्वारा रखा जाता है, भी प्रतीक्षित है। व्यक्तिगत लेनदारों के ऋणों के पुनर्भुगतान की शेष राशि की जानकारी, जिसके लिए महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा विस्तृत लेखों को व्यवस्थित रखना है, भी राज्य सरकार से प्रतीक्षित है। इसके अलावा मुख्यालय द्वारा निर्धारित आईजीएएस-1, 2 एवं 3 पर जानकारी/सूचनाओं को व्यक्त करने वाला मानक प्रारूप वित्त लेखे के खण्ड-I एवं खण्ड-II के प्रासंगिक विवरणों में अपनाया गया है।

अध्याय - 4

राज्य स्कीम (सी.ए.एस.सी. एवं सी.एस.एस. सहित) एवं स्थापना व्यय

4.1 व्यय का वितरण (2018-19)

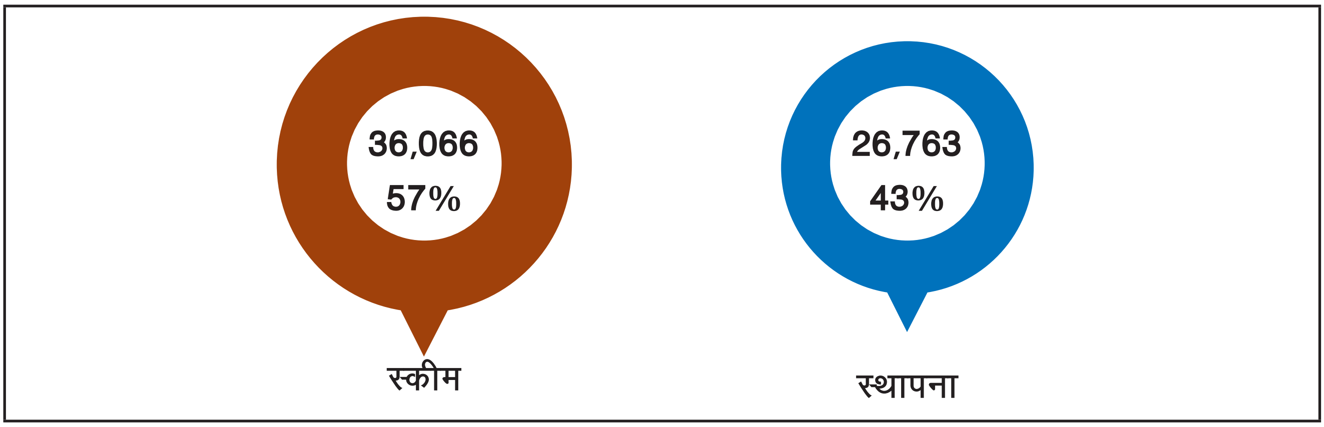

4.2 योजना व्यय

वर्ष 2018-19 के दौरान, योजना व्यय (₹25,556 करोड़ राज्य योजना के अधीन, ₹9,097 करोड़ केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना/केन्द्रीय योजनागत योजना के अधीन तथा ₹1,413 करोड़ कर्ज एवं अग्रिम के अधीन) ₹ 36,066 करोड़ था, जो कि कुल संवितरण (₹ 62,829 करोड़) का 57 *प्रतिशत* को इंगित करता है।

कुल व्यय एवं स.रा.घ.उ. के अनुपात में योजना व्यय

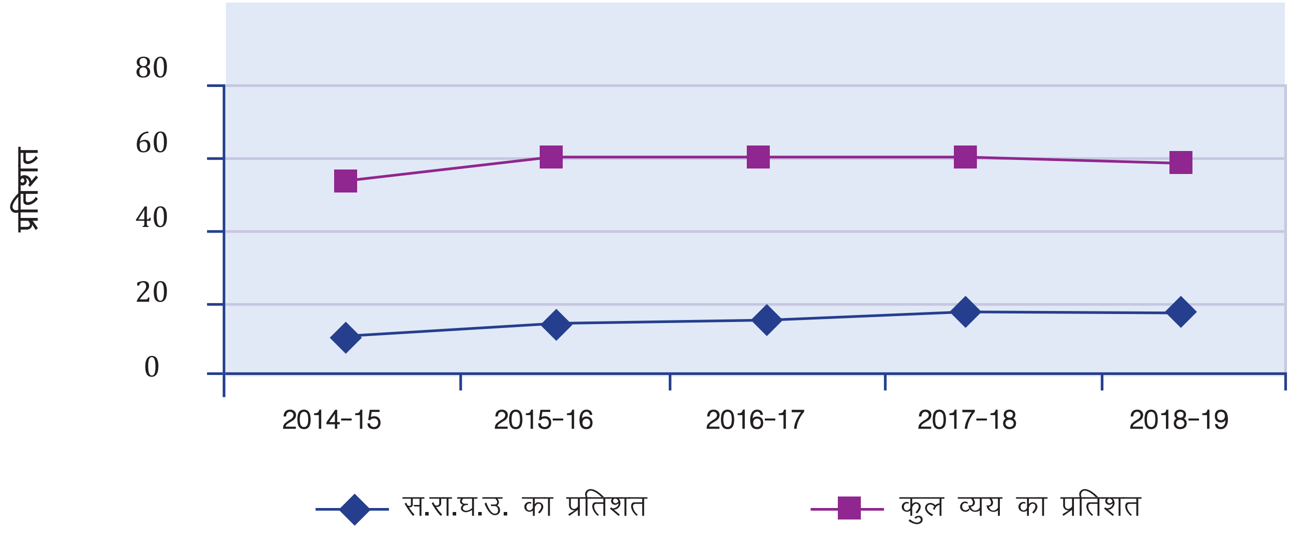

वर्ष 2018-19 में राजस्व खण्ड के अधिन योजना व्यय ₹23,983 करोड़ जो वर्ष 2017-18 में ₹22,999 करोड़ से 4.3 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2018-19 में पूंजीगत खण्ड में व्यय ₹12,083 करोड़ जो वर्ष 2017-18 के ₹13,646 करोड़ से 13 प्रतिशत कम है। योजना व्यय में केन्द्र प्रायोजित योजना/केन्द्रीय सेक्टर योजना (राजस्व ₹8,179 करोड़ एवं पूंजीगत ₹918 करोड़) का हिस्सा वर्ष 2017-18 में ₹8,577 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹9,097 हो गया।

4.2.1 पूंजी लेखा के अन्तर्गत योजना व्यय

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
कुल पूंजी व्यय	6,367	15,639	12,196	13,804	12,198
कुल पूंजी व्यय (स्कीम)	6,309	15,494	12,072	13,646	12,083
कुल पूंजी व्यय का पूंजी व्यय (स्कीम) की प्रतिशतता	99	99	99	99	99

4.2.2 ऋणों एवं अग्रिमों पर स्कीम व्यय

ऋण एवं अग्रिम पर महत्वपूर्ण व्यय निम्न थे :

मुख्य शीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)	उद्देश्य
6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज	1,413	बहुत सारे बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज
7610 सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज	47	सरकारी कर्मचारी को भवन निर्माण अग्रिम एवं मोटर वाहन अग्रिम के लिए ऋण
कुल	1,460	

4.3 स्थापना व्यय

कुल व्यय एवं स.रा.घ.उ. के अनुपात में योजना व्यय

वर्ष 2018-19 के दौरान स्थापना व्यय (₹26,648 करोड़ राजस्व के अधीन एवं ₹115 करोड़ पूंजी के अधीन) ₹26,763 करोड़ था, जो कुल संवितरण ₹62,829 करोड़ का 43 *प्रतिशत* को इंगित करता है।

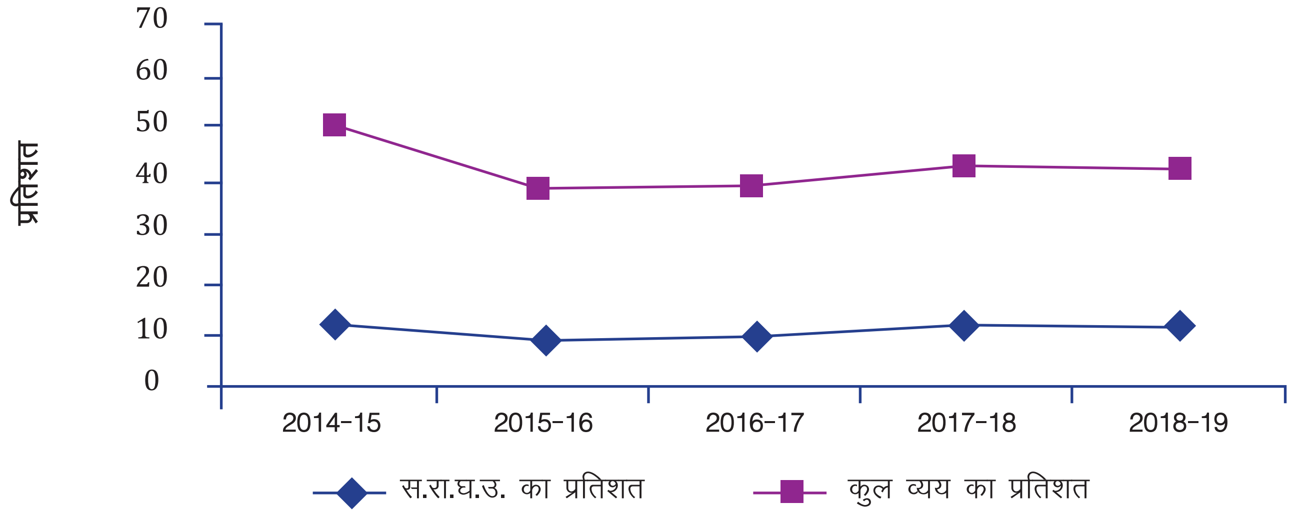

4.4 वचनबद्ध व्यय

वर्ष 2018-19 के दौरान वेतन, पेंशन एवं ब्याज भुगतान में पूर्व के वर्षों के मुकाबले वृद्धि हुई जो मुख्यतः वेतन एवं पेंशन पुनरीक्षण के कारण हुई है।

वचनबद्ध व्यय की प्रवृत्ति

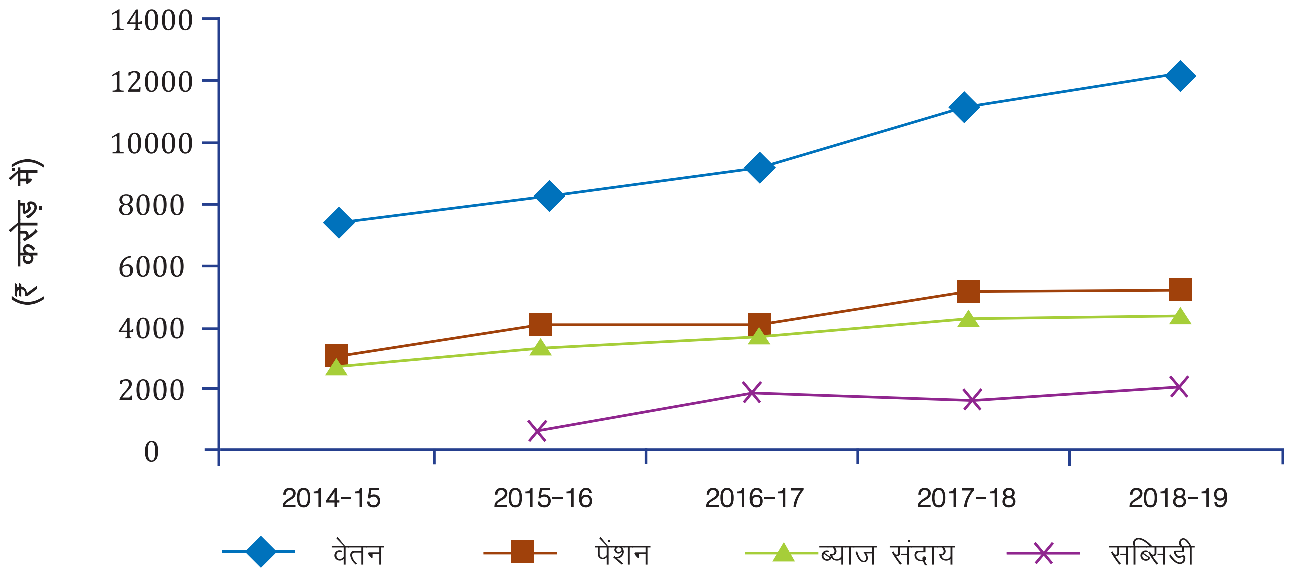

विगत पाँच वर्षों का राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्ति का तुलनात्मक वचनबद्ध व्यय की प्रवृति -

(₹ करोड़ में)

संघटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
वचनबद्ध व्यय	13,809	16,050	19,093	23,236	25,073
राजस्व व्यय	31,795	36,553	45,089	50,952	50,631
राजस्व प्राप्तियाँ	31,565	40,638	47,054	52,756	56,152
राजस्व प्राप्तियाँ का वचनबद्ध व्यय की प्रतिशतता	44	39	41	44	45
राजस्व व्यय का वचनबद्ध व्यय की प्रतिशतता	43	44	42	46	50

वचनबद्ध व्यय वर्ष 2014-15 से 2018-19 में 82 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि राजस्व व्यय इसी अवधि के दौरान 59 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वचनबद्ध व्यय में अत्यधिक वृद्धि सरकार को विकासात्मक खर्च में कम लचीलापन लाने के लिए बाध्य करता है।

अध्याय – 5
विनियोग लेखे

5.1 वर्ष 2018-19 के लिए विनियोग लेखे का सारांश

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोग	कुल बजट	वास्तविक व्यय (निबल)	बचत (-) अधिक व्यय (+)
1.	राजस्व						
	दत्तमत	56,740	4,558		61,298	45,710	(-)15,588
	प्रभारित	6,004	8	0	6,012	4,961	(-)1,051
2.	पूँजी						
	दत्तमत	13,950	1,387	0	15,337	12,197	(-)3,140
3.	लोक ऋण						
	प्रभारित	3,505	0	0	3,505	3,060	(-)445
4.	कर्ज एवं अग्रिम						
	दत्तमत	1,644	0	0	1,644	1,486	(-)158
	कुल						
	दत्तमत	**72,334**	**5,945**	**0**	**78,279**	**59,393**	**(-)18,886**
	प्रभारित	**9,509**	**8**	**0**	**9,517**	**8,021**	**(-)1,496**

5.2 विगत पाँच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य या अधिक व्यय की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बचत (-) अधिक व्यय (+)				कुल
	राजस्व	पूंजी	लोक ऋण	कर्ज एवं अग्रिम	
2014-15	(-)13,104	(-)3,265	(-)115	(-)421	(-)16,905
2015-16	(-)14,275	(-)2,673	(-)28	(-)549	(-)17,525
2016-17	(-)11,378	(-)1,818	(+)11	(-)347	(-)13,532
2017-18	(-)11,939	(-)2,238	(-)108	(-)171	(-)14,456
2018-19	(-)16,639	(-)3,140	(-)445	(-)158	(-)20,382

5.3 महत्वपूर्ण बचतें

किसी अनुदान के अधीन पर्याप्त बचत यह दर्शाता है कि किसी खास योजनाओं/कार्यक्रमों का या तो कार्यान्वयन नहीं किया गया या मन्द गति से कार्यान्वयन किया गया।

कुछ अनुदानों के निरंतर एवं महत्वपूर्ण बचतें नीचे दिए गए हैं :-

अनुदान	नामकरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
(प्रतिशत में)						
1	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	56	54	32	38	48
20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	41	38	27	30	22
29	खनन एवं भू-तत्व विभाग	38	43	49	69	50
43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग (उच्च एवं तकनीकी शिक्षा प्रभाग)	40	31	17	26	21

उद्योग, खान, भू-विज्ञान विभाग, कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) के अंतर्गत निरंतर बचत योजनाओं को क्रियान्वयन के समय कम प्राथमिकता दिया जाना है, भले ही उन्हें विधायिका द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह बढ़े हुए बजट अनुमानों अथवा अपने राजकोषीय घाटे को सीमा के अन्दर रखने की सरकार की इच्छा के परिपेक्ष में हो सकता है। जहाँ वर्ष 2018-19 के दौरान कुछ मामलों में कुल ₹5,954 करोड़ (कुल व्यय का 9 *प्रतिशत*) का अनुपूरक अनुदान/विनियोग अनावश्यक साबित हुआ, वहीं वर्ष के अन्त में मूल आवंटन के विरूद्ध भी पर्याप्त बचत पाया गया। कुछ मामले नीचे दिए गए हैं।

(₹ करोड़ में)

अनुदान	नामकरण	प्रभाग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
1	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	राजस्व	1,483.72	117.49	753.41
2	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	राजस्व	367.90	21.23	170.98
20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	राजस्व	3,483.50	397.63	3,109.16
23	खान एवं भूतत्व विभाग	राजस्व	456.57	2.37	308.09

(₹ करोड़ में)

अनुदान	नामकरण	प्रभाग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
26	श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग	राजस्व	242.85	2.35	166.63
36	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	राजस्व	1,754.71	65.43	1,365.18
40	राजस्व, निबंधन एवं भुमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	राजस्व	567.40	36.13	482.25
41	पथ निर्माण विभाग	राजस्व	4,000.00	0.00	3,843.01
42	ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	राजस्व	6,170.43	102.67	4,188.42
48	नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	राजस्व	2,819.96	384.26	1,920.99
51	कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	राजस्व	1,586.24	183.66	1,151.36
54	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	राजस्व	319.21	0.23	142.99
56	ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	राजस्व	1,659.19	84.74	872.87
58	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)	राजस्व	1,656.83	24.61	965.17
60	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	राजस्व	3,392.22	167.94	2,582.92

अध्याय - 6
परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व

6.1 परिसम्पत्तियाँ

वर्तमान लेखा पद्धति में अधिग्रहण/क्रय के वर्ष के अतिरिक्त सरकारी परिसम्पत्तियों जैसे - भूमि, भवन इत्यादि के मूल्यांकन का चित्रण सहजतापूर्वक नहीं होता है। इसी प्रकार लेखे जहाँ चालू वर्ष में प्रकट होने वाले दायित्वों के प्रभाव को दर्शाता है वहीं ब्याज की दर तथा ऋण की वर्तमान अवधि द्वारा सीमित सीमा तक दर्शाये जाने के अतिरिक्त आनेवाली पीढ़ियों के लिए दायित्वों के सम्पूर्ण प्रभाव का चित्रण नहीं होता है।

वर्ष 2018-19 के अंत में गैर-वित्तीय सार्वजनिक उपक्रमों (पी.एस.यू.) में शेयर पूंजी के रूप में कुल निवेश ₹432.87 करोड़ था। यद्यपि, वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश कुल निवेश पर शून्य था। 2018-19 के दौरान निवेश में ₹41.00 करोड़ की वृद्धि हुई, लेकिन लाभांश आय शून्य थी।

31 मार्च 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक का नगदी शेष ₹ (-)242.16 करोड़ था जो मार्च 2019 के अंत तक बढ़कर होकर ₹ 188.30 करोड़ हो गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018-19 में सरकार ने 85 अवसरों पर, ₹32,877 करोड़ की राशि 14 दिनों के खजाना बिलों में निवेश किया तथा ₹32,691 करोड़ के मूल्य का 140 अवसरों पर पुनः बट्टा चुकाया। वर्ष 2018-19 के दौरान निवेश की स्थिति को नीचे दी गई सारणी में दर्शाया गया है :-

(₹ करोड़ में)

भारत सरकार के खजाना बिलों में नकदी शेष का निवेश			
1 अप्रैल 2018 को शेष	2018-19 के दौरान खरीद	2018-19 के दौरान विक्रय	31 मार्च 2019 को अन्तिम शेष
355	32,628	32,815	168

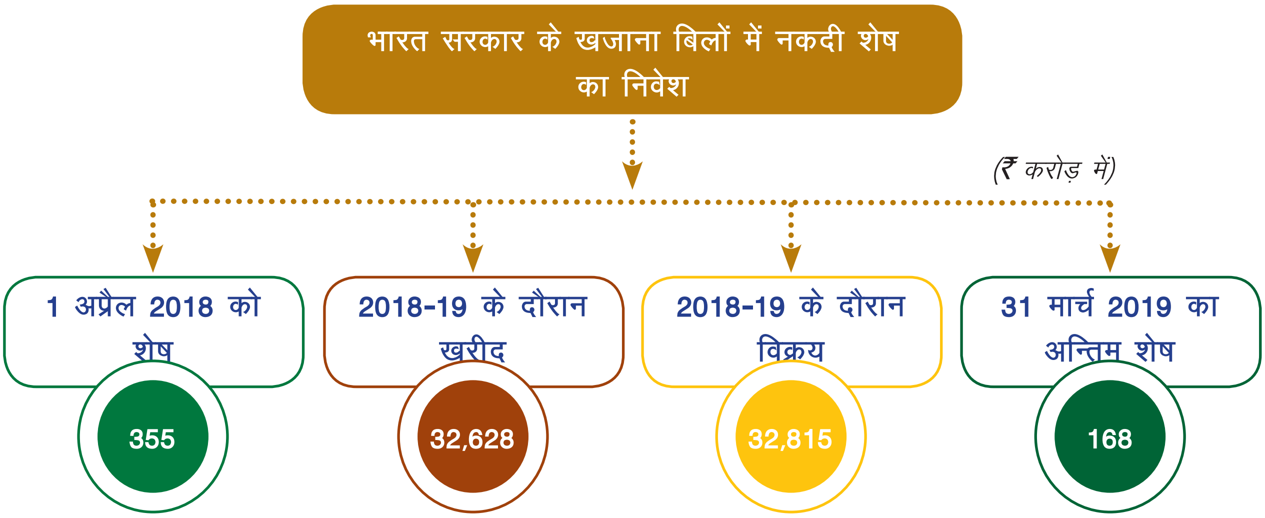

6.2 ऋण एवं दायित्व

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293, राज्य सरकारों को, समेकित निधि की अभिरक्षा पर, एक सीमा के भीतर, जो कि राज्य विधान मंडल द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती है, उधार लेने कि शक्तियाँ प्रदान करता है। वर्ष 2018-19 के लिए यह सीमा ₹5,509 करोड़ था, इसके विरूद्ध झारखण्ड सरकार ने ₹5,509 करोड़ का बाजार ऋण लिया।

राज्य सरकार के लोक ऋण तथा कुल दायित्वों का विगत पाँच वर्षो का विस्तृत विवरणी निम्नलिखित है :-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लोक ऋण	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत	लोक लेखा*	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत	कुल देयताएँ (₹ करोड़ में)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत
2014-15	34,842	14	8,727	3	43,569	17
2015-16	45,841	18	10,689	4	56,530	22
2016-17	50,845	20	15,982	6	66,827	26
2017-18	56,032	22	21,063	8	77,095	30
2018-19	60,775	21	23,008	8	83,783	29

**उचन्त तथा विविध एवं प्रेषण शेषों को छोड़कर*

वर्ष 2018-19 में लोक ऋण तथा कुल दायित्वों में, पिछले वर्ष से ₹6,688 करोड़ (9 प्रतिशत) की निवल वृद्धि हुई।

सरकार के दायित्वों का रूझान

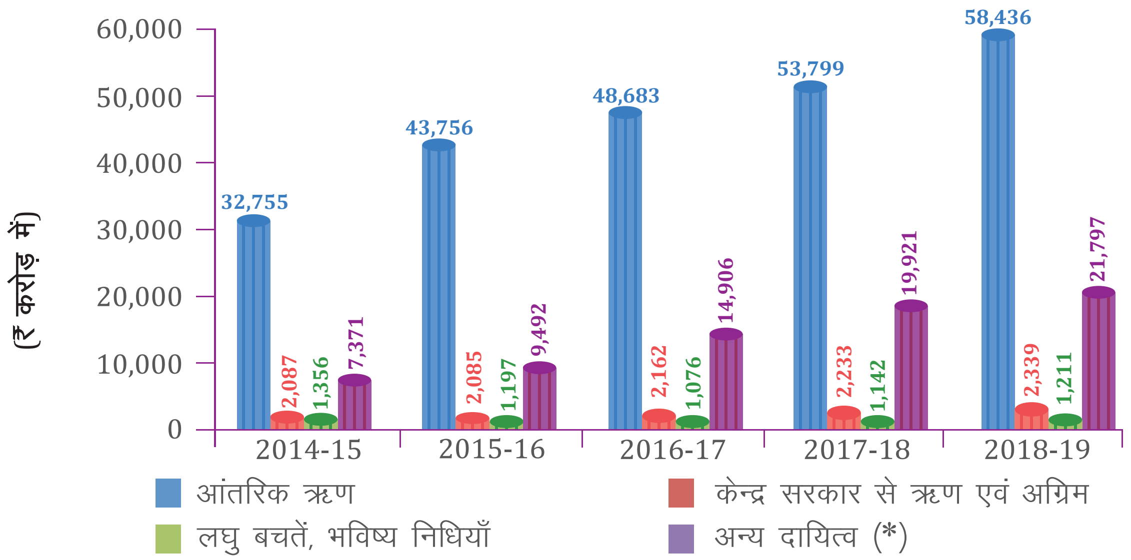

**ब्याज एवं ब्याज रहित दायित्व जैसे लोकल निधि में जमा, अन्य कर्णांकित निधि आदि।*

6.3 निवेश एवं वापसियाँ

वर्ष 2018-19 के अन्त में सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों इत्यादि में पूंजीगत हिस्सा के रूप में कुल निवेश ₹433 करोड़ था। जबकि सांविधिक निगमों, ग्रामीणों बैंकों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों इत्यादि में निवेश में ₹41 करोड़ की अभिवृद्धि हुई।

6.4 राज्य सरकार द्वारा कर्ज एवं अग्रिम

वर्ष 2018-19 के अन्त में राज्य सरकार द्वारा दिया गया कुल कर्जे एवं पेशगियाँ ₹20,730 करोड़ था, इसमें से सरकारी निगमों/कम्पनियों, गैर सरकारी संस्थानों तथा स्थानीय निकायों को कर्जे एवं पेशगियाँ ₹ 20,706 करोड़ था, 31 मार्च 2019 के अन्त मूलधन एवं ब्याज की वापसी ₹1,479 करोड़ तथा ₹1,236 करोड़ का बकाया है।

6.5 प्रत्याभूति

सीधे ऋण जुटाने के अलावा, राज्य सरकारों ने विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए बजट और वित्तीय संस्थान से सरकारी कंपनियों और निगम द्वारा उठाए गए ऋणों की गारंटी दी है। इन गारंटी (प्रत्याभूति) को राज्य बजट से बाहर रखा गया है।

वर्ष के अन्त में	गारन्टी की अधिकतम राशि (मूलधन)	वर्ष के अन्त में बकाया गारन्टी	
		मूलधन	ब्याज
2014-15	...	157	...
2015-16	...	157	...
2016-17	...	157	...
2017-18	...	157	...
2018-19	...	607	...

अध्याय – 7
अन्य मदें

7.1 आंतरिक ऋण के अधीन शेष

राज्य सरकारों का उधार भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के द्वारा शासित होता है। लिए गए प्रत्यक्ष कर्जों के अतिरिक्त विभिन्न योजनागत योजनाओं तथा कार्यक्रमों, जो राज्य बजट से बहिर्विष्ट होते हैं, का क्रियान्वयन हेतु बाजार एवं वित्तीय संस्थानों से सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा उठाये गये कर्जों को भी राज्य सरकारें गारंटी देती हैं। इन कर्जों को संबंधित प्रशासकीय विभागों की प्राप्तियों के जैसा प्रतिपादित किया जाता है जो सरकार की पुस्तकों में प्रकट नहीं होता है। मार्च 2019 के आंतरिक ऋण के अधीन शेष ₹58,436 करोड़ था।

7.2 स्थानीय निकायों एवं अन्यान्य को वित्तीय सहायता

वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों इत्यादि को सहायता अनुदान के रूप में वर्ष 2017-18 में ₹20,714 करोड़ दिया गया, जो वर्ष 2018-19 में घटकर ₹17,976 करोड़ हो गया।

वर्ष के दौरान जिला परिषदों, पंचायत समितियों तथा नगरपालिकाओं को ₹4,435 करोड़ का अनुदान दिया गया, जो कुल अनुदान का 25 *प्रतिशत* था।

विगत तीन वर्षों में दिए गए सहायक अनुदान का ब्यौरा निम्नवत् है –

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जिला परिषदों	नगर पालिकाओं	पंचायत समितियों	अन्य	कुल
2016-17	2,534	2,961	0.00	14,837	20,332
2017-18	1,270	1,155	0.00	18,289	20,714
2018-19	2,938	1,497	0.00	13,541	17,976

7.3 रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का मिलान

(₹ करोड़ में)

संघटक	1 अप्रैल 2018 को	31 मार्च 2019 को	निवल वृद्धि (+)/ह्रास (–)
रोकड़ शेष	(-)242	188	(-)430
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार, कोषागार विपत्र)	355	168	(-)187
ब्याज सिद्ध	79	31	(-)48

7.4 लेखे का पुनर्मिलान

लेखे की शुद्धता एवं विश्वसनीयता अन्य बातों के अलावा, महालेखाकार (ले.एवं हक.) द्वारा संकलित लेखे के आँकड़े के साथ विभागीय आँकड़े का समय पर समाधान पर निर्भर करता है। इस अभ्यास का पालन संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा संचालित होना चाहिए। बहुत से विभागों के लेखे का पुनर्मिलान अभी भी बाकी है। वर्ष 2018-19 में कुल व्यय (₹65,888.13 करोड़) में से मात्र 42.57 *प्रतिशत* (₹28,070.62 करोड़) का पुनर्मिलान किया गया। इसी प्रकार कुल प्राप्तियाँ ₹ 64,002.70 करोड़ में से मात्र 54.65 *प्रतिशत* (₹34,977.87 करोड़) का पुनर्मिलान किया गया। विभिन्न विभागों के मुख्य नियंत्री अधिकारियों (सी.सी.ओ.) द्वारा लेखे की पुनर्मिलान की स्थिति नीचे दर्शाया गया है।

विवरण	कुल मुख्य नियंत्री अधिकारियों की संख्या	पूर्णतः पुनर्मिलान	आंशिक पुनर्मिलान	पुनर्मिलान नहीं किया गया
व्यय	180	27	98	55
प्राप्तियाँ	100	27	03	70
कुल	**280**	**54**	**101**	**125**

पुनर्मिलान के संदर्भ में कुछ पुराने चुककर्ता विभागों के नाम नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं :-

क्रम. सं.	विभाग का नाम/मुख्य नियंत्री पदाधिकारी	लंबित वर्ष/वर्षों के नाम
1.	सचिव, कृषि विभाग	2016-17, 2017-18, 2018-19
2.	सचिव, पी.एच.ई.डी.	2016-17, 2017-18, 2018-19
3.	उप-सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग उप-सचिव, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा	2016-17, 2017-18, 2018-19
4.	सचिव, शहरी विकास, झारखण्ड, राँची	2016-17, 2017-18, 2018-19
5.	अपर सचिव, गृह प्रभाग IV ग्राम पुलिस आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर, हजारीबाग आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची	2016-17, 2017-18, 2018-19
6.	अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड	2016-17, 2017-18, 2018-19
7.	सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड	2016-17, 2017-18, 2018-19
8.	सचिव, विधि विभाग, झारखण्ड	2016-17, 2017-18, 2018-19
9.	श्रमायुक्त, झारखण्ड, राँची	2016-17, 2017-18, 2018-19
10.	उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड	2016-17, 2017-18, 2018-19

क्रम. सं.	विभाग का नाम/मुख्य नियंत्री पदाधिकारी	लंबित वर्ष/वर्षों के नाम
11.	उप सचिव, कला संस्कृति तथा युवा विभाग, झारखण्ड	2016-17, 2017-18, 2018-19
12.	निदेशक, रोजगार तथा प्रशिक्षण, झारखण्ड	2016-17, 2017-18, 2018-19
13.	वाणिज्य कर आयुक्त, झारखण्ड	2016-17, 2017-18, 2018-19
14.	सचिव, निजी तथा प्रशासनिक सुधार बोर्ड, झारखण्ड	2016-17, 2017-18, 2018-19
15.	संयुक्त सचिव, प्राकृतिक आपदा विभाग, झारखण्ड	2016-17, 2017-18, 2018-19
16.	निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, झारखण्ड	2016-17, 2017-18, 2018-19
17.	निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड	2016-17, 2017-18, 2018-19
18.	महानिरीक्षक (जेल), गृह विभाग, झारखण्ड	2016-17, 2017-18, 2018-19

7.5 कोषागार द्वारा लेखे का प्रेषण

कोषागार द्वारा प्रारम्भिक लेखे का प्रेषण संतोषजनक है। यद्यपि लोक निर्माण कार्यों एवं वन विभाग द्वारा लेखे की प्रस्तुति में सुधार होना चाहिए।

7.6 राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सहायक अनुदानों के विरूद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 2016 के नियम 261 के तहत् सक्षम स्वीकृति प्रधिकारी के प्राधिकारी अधीन स्वीकृत राशि को छोड़कर सरकार द्वारा स्वीकृत सहायक अनुदान, अंशदान इत्यादि की राशि को कोषागार में संवितरित नहीं किया जा सकेगा। आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व के वर्ष में आहरित राशि के लिए लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही संस्वीकृति प्राधिकारी को स्वीकृत्यादेश निर्गत करना चाहिए। निर्धारित अवधि के उपरांत बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र के लिए, निहित उद्देश्यों के लिए अनुदान कि उपयोगिता पर आश्वासन नहीं प्रदान किया जा सकता। बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति नीचे अंकित है:-

उपयोगिता प्रमाण-पत्र की सारणी :-

वर्ष*	प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2016-17 तक	16,097	19,102
2017-18	4,915	14,732
2018-19	4,219	19,545
योग	**25,231**	**53,379**

**उपर वर्णित वर्ष 'बकाया वर्ष' से संबंधित है अर्थात् वास्तविक निकासी के 12 माह के पश्चात्। इस मामले को बार-बार राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है।*

7.7 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र (ए.सी.) एवं विस्तृत आकस्मिक विपत्र (डी.सी.)

आहरण एवं संवितरण अधिकारी सेवा शीर्षों को नामे द्वारा संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र के माध्यम से राशि आहरित करने के लिए अधिकृत है तथा उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि एक विशिष्ट अवधि के दरम्यान सभी मामलों में उप-वाउचरों द्वारा समर्थित विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत करें। वर्तमान में वर्ष 2000-01 से 2018-19 तक ₹5,479 करोड़ की राशि का 18,287 विस्तृत आकस्मिक विपत्र द्वारा राशि का आहरण संवितरण को प्रतिबिम्बित करता है किन्तु किए गए वास्तविक व्यय को नहीं दर्शाता है। विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:-

संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों (ए.सी.) की सारणी :-

वर्ष	लम्बित विस्तृत आकस्मिक विपत्रों (डी.सी.) की संख्या	राशि *(₹ करोड़ में)*
2016-17 तक	17,789	4,395
2017-18	276	441
2018-19	222	643
योग	**18,287**	**5,479**

7.8 अपूर्ण पूंजीगत कार्यों के लेखे की वचनबद्धता

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान विभिन्न अपूर्ण परियोजनाओं पर कुल ₹ 1,009 करोड़ का व्यय किया गया।

7.9 उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय)

विद्युत वितरण कम्पनियों के पुनर्जीवित पैकेज के अनुसार, झारखण्ड सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में उदय के अन्तर्गत सहायता के रूप में कुल ₹ 6,136.37 करोड़ की राशि वितरण कम्पनियों को प्रदान किया गया, जिसमें से भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से सहभागी/ऋणादि बैंकों को जारी नॉन एस.डी.एल. बॉन्ड्स के द्वारा ₹ 5,553.37 करोड़ की राशि उगाही की गई जबकि राज्य में संचित निधि से ₹ 583.00 करोड़ की राशि दी गई। ₹ 6,136.37 करोड़ की सम्पूर्ण राशि झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को कर्ज के रूप में दिया गया।

7.10 व्यय की तीव्रता

वित्तीय नियमावली का शर्त है कि व्यय की तीव्रता विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में यदि हो, तो वह वित्तीय नियमितता के उल्लंघन को प्रदर्शित करता है, जिसे टाला जाना चाहिए। यद्यपि, मार्च 2019 के दौरान चयनित निश्चित लेखा शीर्षों के अन्तर्गत किए गए व्यय, जो कि वर्ष के दौरान कुल व्यय का 51 *प्रतिशत* से 100 *प्रतिशत* के बीच था, वित्तीय वर्ष के अन्त में बजट के उपयोग की प्रवृत्ति को सूचित करता है।

वर्ष 2018-19 के चार तिमाही के दौरान नीचे उल्लेखित शीर्षों में व्यय का प्रवाह निम्नवत् था :-

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	वर्णन	प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	कुल	मार्च के दौरान	वर्ष 2018-19 के कुल व्यय के संदर्भ में 3/2019 की प्रतिशतता
2203	तकनीकी शिक्षा	20.85	79.32	70.07	321.69	491.93	268.15	54.51
2245	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	1.48	220.86	5.46	198.80	426.60	195.90	45.92
2250	अन्य सामाजिक सेवाएँ	0.02	0.01	0.01	0.26	0.30	0.21	70.00
2404	डेयरी विकास	2.68	38.95	6.18	95.18	142.99	82.07	57.40
2415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	49.60	30.48	0.47	85.00	165.55	84.64	51.13
2425	सहकारिता	21.07	20.99	16.35	98.92	157.33	84.99	54.02
2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	0.99	88.75	38.31	357.32	485.37	302.30	62.28
2810	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	0.00	0.00	0.00	199.99	199.99	194.41	97.21
4403	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	8.97	8.97	8.24	91.86
4408	खाद्य भंडारण तथा भंडागार पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.33	1.05	2.48	3.86	2.19	56.74
4875	उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	6.50	6.50	6.50	100.00
5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	2.09	20.72	76.56	99.37	58.77	59.14
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	1.14	1.14	1.14	100.00
6515	अन्य विकास कार्यक्रम के लिए कर्ज	0.00	0.00	0.00	2.39	2.39	2.45	102.51
6801	बिजली योजनाओं के लिए कर्ज	0.00	277.29	0.00	1,135.80	1,413.09	1,135.80	80.38

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2019
www.cag.gov.in

www.agjh.cag.gov.in

535/2020 • Kailashpaper.org • 92631 80313 / 14 / 15